



सत्यमेव जयते

कार्यकलापों का सारांश

SUMMARY OF ACTIVITIES 2018

डाक विभाग
संचार मंत्रालय
भारत सरकार

Department of Posts
Ministry of Communications
Government of India

कार्यकलापों का सारांश
SUMMARY OF ACTIVITIES
2018

डाक विभाग
संचार मंत्रालय
भारत सरकार

Department of Posts
Ministry of Communications
Government of India

परिचय

1. डाक विभाग, संचार मंत्रालय के अधीन है। संचार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) इसके प्रभारी हैं। सचिव, डाक विभाग और अध्यक्ष, डाक सेवा बोर्ड इसके प्रमुख हैं। महानिदेशक, डाक विभाग द्वारा प्रशासन और प्रचालन संबंधी सभी मामले देखे जाते हैं।

मुख्यालय में योजना एवं नीति संबंधी कार्य

2. डाक सेवा बोर्ड, डाक विभाग का शीर्ष प्रबंध निकाय है। इसमें अध्यक्ष, अपर महानिदेशक (समन्वय) और छह सदस्य हैं। अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, बोर्ड के आमंत्रित सदस्य हैं। बोर्ड के छह सदस्य कार्मिक प्रबंध, डाक प्रचालन, प्रौद्योगिकी समावेशन एवं कार्यान्वयन, डाक जीवन बीमा और डाक जीवन बीमा निधि निवेश, बैंकिंग, मानव संसाधन विकास और योजना के क्षेत्रों का कार्य देखते हैं। अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार विभाग को वित्तीय सलाह प्रदान करते हैं। सचिव, डाक सेवा बोर्ड, बोर्ड को सहयोग देते हैं तथा मुख्यालय में प्रशासन प्रभारी हैं। महानिदेशक, डाक सेवाएं और अपर महानिदेशक (समन्वय) डाक सेवा बोर्ड के आमंत्रित स्थायी सदस्य हैं। इसके अलावा, विभाग के मुख्य महाप्रबंधक नामतः मुख्य महाप्रबंधक (व्यवसाय विकास एवं विपणन), मुख्य महाप्रबंधक (पार्सल निदेशालय) और मुख्य महाप्रबंधक (डाक जीवन बीमा) तथा वरिष्ठ उप महानिदेशक, निदेशक एवं सहायक महानिदेशक बोर्ड को आवश्यक सहयोग देते हैं।

डाक सर्कल

3. प्रशासनिक सुविधा के लिए देश के डाक नेटवर्क को 23 सर्कलों में बांटा गया है। कुछेक अपवादों को छोड़कर, सर्कल सामान्यतः राज्यों के को-टर्मिनस होते हैं। प्रत्येक सर्कल का प्रमुख, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल होता है। प्रत्येक सर्कल को आगे परिक्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें क्षेत्रीय इकाइयों के समूह शामिल हैं और जिन्हें डिवीजन (डाक/रेल डाक सेवा) कहा जाता है। प्रत्येक परिक्षेत्र पोस्टमास्टर जनरल के अधीन है। सर्कलों और परिक्षेत्रों में स्टैम्प डिपो, भंडार डिपो तथा मेल मोटर सेवा जैसी कार्यात्मक तथा सहायक यूनिटें हैं।

सेना डाक सेवा कोर

4. इन 23 सर्कलों के अलावा, सशस्त्र सेनाओं की डाक संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक अलग विंग, सेना डाक सेवा (एपीएस) भी है। सेना डाक सेवा को एक पृथक सर्कल, बेस सर्कल कहा जाता है।

डाक प्रचालन

5. 1,55,531 डाकघरों के साथ भारत, विश्व का विशालतम डाक नेटवर्क है, जिसमें से 1,39,882 (89.93%) डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं तथा 15,649 (10.06%) डाकघर शहरी क्षेत्रों में हैं। देश भर में 811 प्रधान डाकघर, 24,746 उप डाकघर तथा 1,29,974 शाखा डाकघर हैं। औसतन, एक डाकघर 21.48 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र तथा 7,725 लोगों को सेवा प्रदान करता है।

(क) डाक क्षेत्र

6. डाक विभाग, नए मानदण्डों के साथ सेवा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार कर रहा है, ताकि देशभर में बेहतरीन सेवा दी जा सके। निरंतर मॉनीटरिंग की सहायता से सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के क्रम में, डाक विभाग ने एक और उपलब्धि अर्जित की है। मध्य प्रदेश सर्कल में “जबलपुर डाक क्षेत्र” तथा जम्मू एवं कश्मीर सर्कल में “जम्मू डाक क्षेत्र” नाम से दो नए डाक क्षेत्र सृजित किए गए हैं। इन नव सृजित डाक क्षेत्रों के मुख्यालय क्रमशः जबलपुर और जम्मू में हैं और इनके प्रमुख, पोस्टमास्टर जनरल हैं। इन दो क्षेत्रों के सृजन के साथ, अब डाक क्षेत्रों की कुल संख्या 54 हो गई है।

(ख) पार्सल निदेशालय की स्थापना

7. एक स्वतंत्र पार्सल निदेशालय स्थापित किया गया है, जिसके प्रमुख, एक उच्च प्रशासनिक ग्रेड (एचएजी) स्तर के अधिकारी हैं। पार्सल निदेशालय का उद्देश्य पार्सल व्यवसाय की व्यवस्था और विस्तार करना है। पार्सल निदेशालय, सभी प्रकार के पार्सलों और पंजीकृत पैकेटों के विस्तार, बिक्री एवं मार्केटिंग तथा एंड-टु-एंड प्रचालन कार्यों की देख-रेख करेगा।

कम्प्यूटरीकरण, नेटवर्किंग और डाटा केन्द्र

8. सभी 25,585 विभागीय डाकघरों को कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है। डाकघरों, प्रशासनिक कार्यालयों और मेल कार्यालयों सहित सभी 28695 स्थलों को सिंगल वैन (डब्ल्यूएन) से जोड़ा जा चुका है। आईटी आधुनिकीकरण परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु डाक सर्कलों को 70.34 करोड़ रु. की राशि आवंटित की गई है ताकि 16,744 डेस्कटॉप कम्प्यूटर खरीद कर डाकघरों और डाक लेखा कार्यालयों (पीएओ) को प्रदान किए जा सकें।

9. ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के क्रम में, कुल 491 डिवीजनों में कोर सिस्टम इंटीग्रेटर (सीएसआई) प्रणाली लागू कर दी गई है। शेष 32 डिवीजनों में सीएसआई प्रणाली लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

INTRODUCTION

1. The Department of Posts under the Ministry of Communications is headed by Minister of State for Communications (Independent Charge). The Department is headed by the Secretary, Department of Posts and Chairperson, Postal Services Board. The Director General, Department of Posts handles all matters relating to Administration and Operations.

Planning and Policy Formulation at Headquarters

2. The Postal Services Board (PSB) is the apex management body of the Department of Posts. It comprises the Chairperson, Additional Director General (Coordination) and six Members. The Additional Secretary and Financial Advisor (AS&FA) is an invitee to the Board. The six members of the Board look after areas of Personnel Management, Postal Operations, Technology Induction and Implementation, Postal Life Insurance & Investment of Postal Life Insurance Funds, Banking, Human Resources Development and Planning. The Additional Secretary and Financial Advisor (AS&FA) renders financial advice to the Department. The Secretary, Postal Services Board assists the Board and is in charge of administration at the headquarters. Director General Postal Service and Addl. DG (Co-ordination) are permanent invitees to the PSB. In addition, Chief General Managers viz, CGM (Business Development & Marketing), CGM (Parcel Directorate) and CGM (Postal Life Insurance) and Sr. Deputy Directors General, Directors and Assistant Directors General of the Department provide necessary support to the Board.

Postal Circles

3. The Postal network of the Country is divided into 23 Postal Circles for administrative convenience. Circles are generally co-terminus with a State with a few exceptions. Each Circle is headed by a Chief Postmaster General. The Circles are further divided into Regions comprising groups of field units, called Divisions (Postal/RMS). Each Region is headed by a Postmaster General. In the Circles and Regions, there are other functional and supporting units like Stamp Depots, Store Depots and Mail Motor Service.

Army Postal Service Corps

4. Apart from the 23 Circles, there is a separate wing called the Army Postal Services (APS) to take care of postal needs of the Armed Forces. The APS is

designated as another Circle called the Base Circle.

POSTAL OPERATIONS

5. India has the largest Postal Network in the world with 1,55,531 Post Offices, of which 1,39,882 (89.93%) are in rural areas and 15,649 (10.06%) are in urban areas. There are 811 Head Post Offices, 24,746 Sub-Post Offices and 1,29,974 Branch Post Offices in the country. On an average, a Post Office in India serves an area of 21.48 sq.km. and a population of 7,725 people.

A. Postal Region

6. The Department of Posts has been consistently improving the quality of services with new parameters for providing services to reach out to serve the nation. To continue with the qualitative improvement of services aided by constant monitoring, the Department of Posts has created one more milestone by creating two new Postal Regions named "Jabalpur Postal Region" in Madhya Pradesh Circle and "Jammu Postal Region" in Jammu & Kashmir Circle. The newly created Regions are being headed by a Postmaster General with headquarters located at Jabalpur and Jammu respectively. With the creation of these two Regions, the tally of the Postal Regions is now 54.

B. Creation of Parcel Directorate

7. An independent Parcel Directorate has been created under a Higher Administrative Grade (HAG) level officer with an aim to administer and expand parcel business. The Parcel Directorate will look at expansion, sales and marketing and end to end operations of all types of parcels and registered packets.

COMPUTERIZATION, NETWORKING AND DATA CENTRE

8. All the 25,585 Departmental Post Offices are computerized. Total 28695 locations including Post Offices, Administrative Offices and Mail Offices have been brought under single Wide Area Network (WAN). To support effective implementation of the IT Modernization Project, Rs. 70.34 Crores are allotted to the Postal Circles for procurement of 16,744 Desktop Computers for supply to Post Offices and Postal Accounts Offices (PAOs).

9. Total 491 Divisions have been migrated to Core System Integrator (CSI) platform to provide better customer services. Efforts are on to bring rest 32 Divisions under CSI platform.

डाटा केन्द्र सुविधा (डीसीएफ)

10. डाटा केन्द्र, 3 अप्रैल, 2013 से नवी मुम्बई में प्रचालनरत है। यह परियोजना ओ एंड एम चरण पर है।

नेटवर्क इंटीग्रेटर (एनआई)

11. कुल 28,307 स्थलों की सिंगल वैन (डब्ल्यूएन) से नेटवर्किंग करके उन्हें डाटा केन्द्र के साथ जोड़ा जा चुका है। इस संबंध में, 98% से अधिक कार्य हो गया है। 01.01.2018 से 31.12.2018 के दौरान कुल 100 कार्यालयों को जोड़ा गया है।

12. इस परियोजना का कार्य तकनीकी रूप से व्यवहार्य सभी स्थलों पर पूरा हो गया है, जिसके अंतर्गत 98% स्थल शामिल हैं। शेष स्थलों के लिए, वैकल्पिक कनेक्टिविटी व्यवस्था, जैसे एनओएफएन/एफटीटीएच को अनुमोदन प्रदान किया गया है तथा सर्कलों से इन टीएनएफ स्थलों को जोड़ने का अनुरोध किया गया है।

वित्तीय सेवाएं इंटीग्रेटर (एफएसआई)

13. 23,656 कार्यालयों में सीबीएस प्रणाली लागू हो गई है। 01.01.2018 से 31.12.2018 के दौरान, कुल 192 कार्यालयों में सीबीएस प्रणाली लागू की गई। अब तक, कुल 25,573 कार्यालयों में सीआईएस (पीएलआई) प्रणाली लागू की गई है। 01.01.2018 से 31.12.2018 के बीच 07 कार्यालयों में सीआईएस प्रणाली लागू की गई है। 995 स्थलों पर एटीएम सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। 01.01.2018 से 31.12.2018 के बीच चार एटीएम लगाए गए। सभी एटीएम अंतर प्रचालित हैं।

14. तकनीकी रूप से व्यवहार्य सभी डाकघरों (सीबीएस और पीएलआई) का रोलआउट कार्य संपन्न हो गया है। कनेक्टिविटी की समस्या के कारण, शेष डाकघरों में यह कार्यान्वित नहीं हो सका है। इस संबंध में कोई समय-सीमा नहीं दी जा सकती क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी आधारित डाक सेवाएं, दूरसंचार इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता पर आधारित हैं।

कोर सिस्टम इंटीग्रेटर (सीएसआई)

15. 507 डिवीजनों और 153 अन्य संबंधित कार्यालयों में सीएसआई प्रणाली लागू कर दी गई है। 01.01.2018 से 31.12.2018 के दौरान, 420 डिवीजनों और 126 अन्य कार्यालयों में सीएसआई प्रणाली लागू की

गई। रोलआउट संबंधी शेष कार्य शीघ्र ही पूरा होने की संभावना है। टीएनएफ स्थलों वाली डिवीजनों में यह कार्य, तकनीकी रूप से व्यवहार्य होने के बाद किया जाएगा।

दर्पण परियोजना – ग्रामीण सिस्टम इंटीग्रेटर (आरएसआई)

16. नव भारत के लिए ग्रामीण डाकघरों का डिजिटल उन्नयन (दर्पण) परियोजना को जून, 2016 में आरंभ किया गया। इस परियोजना के अंतर्गत, डाक विभाग, देश के ग्रामीण क्षेत्रों के 1.29 लाख से अधिक शाखा डाकघरों को, एक चरणबद्ध रूप में, सिम आधारित हस्तचालित उपकरण प्रदान कर रहा है, ताकि डाक और वित्तीय लेन-देन ऑनलाइन किए जा सकें।

17. ग्रामीण क्षेत्रों के ग्राहक दर्पण उपकरणों के माध्यम से कोर बैंकिंग लेन-देन, पंजीकृत और स्पीड पोस्ट वस्तुओं की बुकिंग, मनीऑर्डर बुकिंग, डाक जीवन बीमा/ग्रामीण डाक जीवन बीमा की प्रीमियम राशि का भुगतान, डाक जीवन बीमा/ग्रामीण डाक जीवन बीमा परिपक्वता दावों की इंडेक्सिंग की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

18. दर्पण परियोजना के अंतर्गत, अब तक कुल 1,29,036 शाखा डाकघरों को शामिल किया गया है तथा दर्पण उपकरणों के माध्यम से 10,032 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि के 8 करोड़ से अधिक लेन-देन किए गए हैं।

डाक प्रचालन हार्डवेयर (एमओएच)

19. सभी सर्कलों को 35.29 करोड़ रुपए की निधि आबंटित की गई है, ताकि डाकियों के लिए 38509 स्मार्टफोन खरीदे जा सकें। डॉट मेट्रिक्स प्रिंटर, स्कैनर्स, टैग प्रिंटर जैसे डाक प्रचालन हार्डवेयर की खरीद हेतु सभी सर्कलों को 5.32 करोड़ रु. की निधि आबंटित की गई है।

डाक की माला

20. पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान हैंडल किए गए डाक परियात के आंकड़ों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

सारणी-1 - डाक परियात (करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी	2016-17	2017-18	%बदलाव
1.	पंजीकृत	18.34	19.33	5.38
2.	गैर-पंजीकृत	552.66	567.69	2.72
3.	प्रीमियम उत्पाद*	47.87	47.59	-0.58
	कुल (1+2+3)	618.87	634.61	2.54

*स्पीड पोस्ट एवं एक्सप्रेस पार्सल

Data Centre Facility (DCF)

10. Data centre is operational from 3rd April 2013 at Navi Mumbai. The Project is under O & M Phase.

Network Integrator (NI)

11. Total 28307 locations have been networked on a single Wide Area Network (WAN) and connected to Data Centre. More than 98% work has been completed. Total 100 offices have been networked between 01.01.2018 to 31.12.2018.

12. The project is completed in all the technically feasible sites which covers about 98% locations. For the remaining, alternate connectivity options such as NOFN/FTTH have been approved and circles were requested to connect these TNF locations.

Financial Services Integrator (FSI)

13. 23656 offices have been migrated to CBS. Total 192 offices migrated to CBS between 01.01.2018 to 31.12.2018. So far total 25,573 offices have been migrated under CIS (PLI). 07 offices have been migrated to CIS between 01.01.2018 to 31.12.2018. ATM Services have been installed at 995 locations. Four ATMs were installed between 01.01.2018 to 31.12.2018. All ATMs are interoperable.

14. Roll out of all the technically feasible post offices(CBS & PLI) have been completed. Post offices which have not yet migrated are due to connectivity issues. No time frame can be given as information technology based postal services are dependent on availability of telecom infrastructure.

Core System Integrator (CSI)

15. 507 Divisions and 153 other related offices have rolled out to CSI. Between 01.01.2018 to 31.12.2018, 420 divisions and 126 other offices rolled out to CSI. The remaining roll out is expected to be completed soon barring Divisions that have many TNF locations and will be taken up as and when feasible.

DARPAN Project -Rural System Integrator (RSI)

16. Under the Digital Advancement of Rural Post Office for A New India (DARPAN) Project, launched in June 2016, the Department of Posts, in a phased manner, is providing SIM based Hand Held Devices to more than 1.29 Lakh Branch Post Offices in the rural areas of the country for carrying out online Postal and Financial transactions.

17. Customers in the rural areas can avail the facility of Core Banking transactions, booking of Registered and Speed Post article, booking of Money Orders, deposit of Postal Life Insurance (PLI) /Rural Postal Life Insurance (RPLI) premium and indexing of PLI/RPLI maturity claims through the DARPAN devices.

18. A total of 1,29,036 Branch Post offices (BOs) have so far been rolled out under DARPAN Project and more than 8 crores transactions involving an amount of more than Rs. 10032 crores have taken place through DARPAN devices.

Mail Operation Hardware (MOH)

19. Funds to the tune of Rs.35.29 crores have been allotted to all the circles for procurement of 38509 smart phones for postmen. Funds to the tune of Rs 5.32 crores have been allotted to all the Circles for the procurement of mail operation hardware viz. dot matrix printers, scanners, tag printers etc.

MAIL VOLUME

20. Mail Traffic handled during 2017-18 as compared to previous year is given below:

Table 1- Mail Traffic (In Crores)

S. No.	Item	2016-17	2017-18	% Change
1	Registered	18.34	19.33	5.38
2	Unregistered	552.66	567.69	2.72
3	Premium Products*	47.87	47.59	-0.58
	Total(1+2+3)	618.87	634.61	2.54

*: Speed Post & Express Parcel

डाक प्रचालन

21. विभाग के प्रमुख कार्यकलापों में डाक की प्रोसेसिंग, पारेषण और वितरण शामिल है। देशभर में लगाई गई 471443 पत्र पेटियों से डाक एकत्रित की जाती है। इस डाक की, 385 डाक छंटाई कार्यालयों के नेटवर्क से प्रोसेसिंग की जाती है। तत्पश्चात इसे सड़क, रेल हवाई मार्ग से देश भर में पहुंचाया जाता है।

डाक नेटवर्क का इष्टतम उपयोग परियोजना (एमएनओपी)

22. डाक विभाग ने डाक की प्रोसेसिंग, पारेषण तथा वितरण की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से 2010 में 'डाक नेटवर्क का इष्टतम उपयोग परियोजना (एमएनओपी)' आरम्भ की है। इस परियोजना में प्रमुख डाक प्रचालनों को सुचारू बनाने की दृष्टि से डाक विभाग के, पहले के डाक नेटवर्क का समेकन और इष्टतम उपयोग संबंधी कार्य शामिल है। इस परियोजना में डाक की प्रोसेसिंग, पारेषण तथा वितरण से संबंधित प्रचालनात्मक प्रक्रियाओं को अधिक मानकीकृत करने और उनमें सुधार लाने का लक्ष्य भी रखा गया है। स्पीड पोस्ट, प्रथम श्रेणी की पंजीकृत और अपंजीकृत डाक और द्वितीय श्रेणी की डाक के लिए प्रचालनात्मक नेटवर्क को एक हब एवं स्पोक मॉडल के रूप में पुनर्गठित किया गया है। प्रचालनों को सरल बनाने तथा कार्य-कुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रचालनात्मक प्रक्रियाओं को पुनर्व्यवस्थित किया गया है। आरंभ में, स्पीड पोस्ट वस्तुओं के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग सुविधा प्रदान की गई थी। बाद में, यह सुविधा पंजीकृत पत्रों, एक्सप्रेस पार्सलों, बिजनेस पार्सलों तथा पंजीकृत पार्सलों के लिए भी दी जाने लगी। ग्राहक, भारतीय डाक की वेबसाइट www.indiapost.gov.in पर अपनी लेखादेय वस्तुओं की ट्रैकिंग कर सकते हैं।

स्वचालित डाक प्रोसेसिंग केन्द्र

23. डाक प्रोसेसिंग में शीघ्रता लाने के उद्देश्य से डाक विभाग ने दिल्ली और कोलकाता में स्वचालित डाक प्रोसेसिंग केन्द्रों (एएमपीसी) की स्थापना की है। ये केन्द्र लेटर सॉर्टिंग मशीन (एलएसएम) तथा मिश्रित डाक सॉर्टर (एमएमएस) से लैस हैं, जिनकी छंटाई स्पीड प्रति घंटा क्रमशः 35000 और 18000 वस्तुएं हैं। विभाग, निकट भविष्य में देश के अन्य प्रमुख स्थलों में भी ऐसे केन्द्र स्थापित करने की योजना बना रहा है।

पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन (पीएमए)

24. पारंपरिक तौर पर, विभिन्न लेखादेय वस्तुओं का वितरण संबंधी अद्यतनीकरण ऑफ-लाइन माध्यम से किया जाता है। पोस्टमैन द्वारा उसके कार्यदिवस की समाप्ति पर, उस सूचना को संबंधित प्रणाली में फीड किए जाने के

बाद ही वितरण संबंधी सूचना को ट्रैकिंग रिपोर्ट में अद्यतन किया जाता है।

25. उक्त कमियों को दूर करने के क्रम में विभाग ने एक पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन (पीएमए) विकसित किया है, जोकि एक एंड्रॉयड आधारित मोबाइल एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को डाक प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केन्द्र (सीईपीटी), मैसूरू द्वारा विकसित किया गया है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से डिलिवरी स्टाफ, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल, बिजनेस पार्सल तथा पंजीकृत डाक जैसी विभिन्न लेखादेय वस्तुओं तथा कैश ऑन डिलिवरी पार्सलों के वितरण संबंधी स्थिति स्मार्टफोन के जरिए कैप्चर कर सकता है तथा वितरण के वास्तविक समय की सूचना अद्यतन कर सकता है। डाक विभाग ने पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन के आरंभिक चरण-1 में 15000 स्मार्टफोनों की खरीद की है। चरण-2 में 38509 और स्मार्टफोन खरीदने की प्रक्रिया चल रही है।

मेल मोटर सेवा (एमएमएस)

26. मेल मोटर सेवा पर 1458 मेल मोटर वाहनों के प्रचालन तथा रख-रखाव का दायित्व है। इनमें से, सीएनजी प्रचालित 224 पर्यावरण अनुकूल डाक वाहन, आगरा, अहमदाबाद, दिल्ली और मुंबई में हैं। मेल मोटर वाहनों के बेड़े के प्रचालन हेतु देशभर में एमएमएस की 103 यूनिटें हैं, जिनमें से 17 मेल मोटर सेवा यूनिटों में पूर्ण-विकसित वर्कशॉप उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, गुणवत्ता सेवा निधि (क्यूएसएफ) परियोजना के अंतर्गत "एक्सपीडाइटींग इंटरनेशनल मेल डिलिवरी इन मेजर सिटीज" के लिए 204 मारुति वाहनों की खरीद की गई और इन वाहनों को सभी सर्कलों में पहुंचाया गया। इस परियोजना के लिए विश्व डाक संघ (यूपीयू) के क्यूएसएफ बोर्ड द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।

27. बेकार (कंडम) ठहराए जाने संबंधी मानदंड पूरे करने वाले मेल मोटर प्रचालन वाहनों/स्टाफ कारों/निरीक्षण वाहनों को कंडम करने अथवा नए वाहन लेने संबंधी पूर्ण अधिकार अब सर्कल अध्यक्षों को सौंप दिए गए हैं। यह कार्य, नए वाहन खरीदकर अथवा आउटसोर्सिंग के माध्यम से किया जाना है। वर्ष 2018-19 के लिए जरूरतमंद सर्कलों को, उनके प्रगामी व्यय के दृष्टिगत, बेकार वाहनों को बदलने के लिए लगभग 13 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। 990 वाहनों में जीपीएस लगाए गए हैं और उनकी गतिविधियों की मॉनीटरिंग ऑनलाइन की जाती है।

रिमोट से संचालित फ्रैंकिंग मशीन (आरएमएफएम)

28. फ्रैंकिंग प्रणाली में उन्नत प्रौद्योगिकी के विकसित होने पर

MAIL OPERATIONS

21. Mail processing, transmission and delivery are the core activities of the Department. Mail is collected from 471443 Letter Boxes in the country. This is processed by a network of 385 Mail Sorting Offices and conveyed by road, rail and airlines all over the country.

Mail Network Optimization Project (MNOP)

22. Department of Posts initiated a project called “Mail Network Optimization Project (MNOP)” in 2010 to improve the quality of mail processing, transmission and delivery. The project involved consolidation and optimization of the erstwhile mail network of the Department of Posts with a view to streamline the core mail operations. It also sought to bring in greater standardization and improvement in the operational processes relating to mail processing, transmission and delivery. The operational networks for Speed Post, First Class Registered and Unregistered mail and Second Class mail have since been restructured into a hub and spoke model. Operational processes have been redesigned in order to simplify operations and improve efficiency. Initially, online tracking facility had been introduced for Speed Post articles and later it was extended to Registered Letters, Express Parcels, Business Parcels and Registered Parcels. Customers can track their accountable articles on the website www.indiapost.gov.in

Automated Mail Processing Centres

23. The Department of Posts established Automated Mail Processing Centres (AMPCs) in Delhi and Kolkata in order to expedite mail processing. These centres are equipped with Letter Sorting Machines (LSM) and Mixed mail Sorters (MMS) with hourly sorting speeds of 35000 and 18000 articles respectively. The Department plans to set up such centres at other major locations in the country in near future.

Postman Mobile Application (PMA)

24. Traditionally, the delivery updation for various accountable articles takes place in an off-line mode and the delivery information is updated in the

tracking report, only after the postmen feeds it in the system after completing his/her beat for the day.

25. In order to overcome the above challenges, Department has introduced Postman Mobile Application (PMA), an android based mobile application which has been designed and developed by the Centre for Excellence in Postal Technology (CEPT), Mysuru. Through this application, the delivery staff can capture and update the real time information regarding delivery of various accountable articles such as Speed Post, Express Parcel, Business Parcel and Registered Post, including Cash on Delivery (CoD) parcels, through use of smart phones. Department of Posts procured 15000 smart phones for the deployment of PMA in Phase – I and is in the process of procuring 38500 more smart phones in Phase-II.

Mail Motor Services (MMS)

26. The MMS is responsible for operation and maintenance of 1458 mail motor vehicles. Out of these, 224 are CNG propelled environment friendly mail vans in Agra, Ahmedabad, Delhi and Mumbai. There are 103 MMS units throughout the country to operate the fleet of motor vehicles, out of which 17 MMS units are having full-fledged workshops. In addition to these, 204 Maruti vehicles were purchased and supplied to all Postal Circles under QSF Project of IR&GB for “Expediting International Mail Delivery in Major Cities” funded by QSF Board of Universal Postal Union (UPU).

27. Powers has been fully delegated to Heads of Circles for condemnation and replacement of Mail Motor operative vehicles/Staff Cars/Inspection vehicles, which have completed norms of condemnation either through purchase of new vehicles or through outsourcing. Funds of an amount of approx.Rs.13 crores for the year 2018-19 have been fully distributed to needy Circles for replacement of condemned vehicles after reviewing the progressive expenditure. The 990 vehicles are provided with GPS and their activity is monitored online.

Remotely Managed Franking Machines (RMFMs)

28. In the wake of evolution of advanced

16.08.2010 से रिमोट से संचालित फ्रैंकिंग मशीनों की शुरुआत की गई। इस प्रणाली में 2 डी बारकोड का सृजन जैसी अधिक सुरक्षित इंकजेट डिजिटल प्रिंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट प्रणाली के सृजन, जिससे मशीन के मीटरों को रिमोट से सेट किया जा सकता है, मानवीय हस्तक्षेप की समाप्ति तथा मशीन से सर्वर तक डाटा का प्रवाह बनाए रखने की सुविधा है। आज की स्थिति के अनुसार, निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत, देशभर में 10761 रिमोट से संचालित फ्रैंकिंग मशीनें उपलब्ध हैं:

सारणी 2 - रिमोट से संचालित फ्रैंकिंग मशीन (आरएमएफएम)

क्रम सं.	श्रेणी	आरएमएफएम की संख्या
1.	विभागीय	795
2.	व्यक्तिगत	8640
3.	वाणिज्यिक	1169
4.	विभागीय (क्लिकड प्रभार)	157
कुल		10761

इलेक्ट्रॉनिक मनीआर्डर (ईएमओ)

29. डाक विभाग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मनीआर्डर सेवा वर्ष 2008 में आरंभ की गई थी और आज की स्थिति के अनुसार इस सेवा के अंतर्गत देश के सभी विभागीय डाकघरों को शामिल किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से धन प्रेषित किए जाने पर मनीआर्डर प्रेषकों से किसी प्रकार का अतिरिक्त प्रभार नहीं लिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मनीआर्डर से धन प्रेषित किए जाने का लाभ यह है कि धनराशि आदाता के घर पर वितरित की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक मनीआर्डर को भारतीय डाक की वेबसाइट www.indiapost.gov.in के माध्यम से ट्रैक किया जा सकता है।

जीवन प्रमाण केन्द्र (जेपीसी)

30. जीवन प्रमाण, पेंशनरों के लिए एक बायोमीट्रिक समर्थित डिजिटल सेवा है, जिसे 30 जून, 2015 को आरंभ किया गया है। इस सेवा में पेंशनरों द्वारा स्वयं जाकर प्रस्तुत किए जाने वाले जीवन प्रमाणों को अब आधार संख्या का प्रयोग करके डिजिटल रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है। ये जीवन प्रमाण केन्द्र देशभर के सभी 811 प्रधान डाकघरों में कार्यरत हैं।

तत्काल मनीआर्डर(आईएमओ)

31. तत्काल मनीआर्डर (आईएमओ) एक तत्काल, सुविधाजनक, विश्वसनीय व किफायती ऑनलाइन घरेलू धन प्रेषण सेवा है। यह सेवा, तत्काल

धन प्रेषण की अपेक्षा रखने वाले व्यक्तियों के लिए है। इस सेवा के ग्राहक, आईएमओ सेवा प्रदान करने वाले किसी भी डाकघर में जाकर धन का तुरंत प्रेषण कर सकते हैं। इस सेवा के अंतर्गत, एक लेन-देन में 1000/- रु. से 50,000/- रु. तक की धनराशि भेजी जा सकती है। आदाता को धनराशि, 16 अंकीय आईएमओ नंबर तथा एक फोटो पहचान प्रमाण प्रस्तुत करने पर किसी भी नामोद्दिष्ट आईएमओ डाकघर में वितरित की जाएगी। इस समय आईएमओ सेवा देशभर में 16,977 डाकघरों में उपलब्ध है।

व्यवसाय विकास एवं विपणन

32. डाकघरों के अपने विशाल नेटवर्क के साथ, डाक विभाग ग्राहक सेवा-केन्द्रित संगठन होने का निरंतर प्रयास करता है। डाकघर अपने ग्राहकों को एक ही स्थान पर अनेक उपयोगी सेवाएं प्रदान करता है तथा इस प्रकार आम आदमी को उसके द्वार पर सहूलियत भरी तथा किफायती सुविधाएं उपलब्ध कराता है। इन व्यावसायिक कार्यकलापों को गति प्रदान करने के लिए और ग्राहकोन्मुखी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, डाक विभाग ने वर्ष 1996 में व्यवसाय विकास निदेशालय की स्थापना की थी। विपणन और प्रचार पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने के उद्देश्य से वर्ष 2004-2005 में इसे व्यवसाय विकास एवं विपणन निदेशालय के रूप में पुनर्गठित किया गया था ताकि ग्राहकों में अधिक जागरूकता पैदा की जा सके तथा ग्राहक आधार को बढ़ाया जा सके। डाक विभाग ने राजस्व अर्जित करने के उद्देश्य से अनेक व्यवसाय उत्पाद और सेवाएं प्रारंभ की हैं, जैसे स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल, व्यवसाय पार्सल, रिटेल पोस्ट, ई-पोस्ट, ई-भुगतान, ई-डाकघर, लॉजिस्टिक्स पोस्ट, व्यवसाय पोस्ट इत्यादि।

डाकघर पासपोर्ट सेवा केन्द्र (पीओपीएसके)

33. चुनिंदा डाकघरों के माध्यम से लोगों के पास-पड़ोस में ही तीसरे पक्ष के उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध करा कर आमजन को अधिक सहूलियत पहुंचाने के उद्देश्य से डाकघरों में व्यापक बदलाव किए जा रहे हैं। इस पहल के तहत, नागरिकों को व्यापक स्तर पर पासपोर्ट सेवाएं मुहैया करवाने तथा और अधिक क्षेत्रों में इस सेवा का विस्तार करने के दृष्टिकोण से, विदेश मंत्रालय तथा डाक विभाग ने विभिन्न राज्यों के चुनिंदा प्रधान डाकघरों का इस्तेमाल डाकघर पासपोर्ट सेवा केन्द्र के रूप में करने का समझौता किया है, ताकि देशभर में लोगों को पासपोर्ट से संबंधित समस्त सेवाएं सुविधाजनक रूप से प्राप्त हो सकें। यह प्रयास केन्द्रीय वित्त मंत्री के बजट, 2017 के अभिभाषण के अनुसरण में किया जा रहा है।

34. विदेश मंत्रालय और डाक विभाग में, देशभर के विभिन्न राज्यों में

technology in the Franking System, allowing inkjet digital printing with more security like generation of 2D barcode, creation of electronic support system facilitating remote setting of meters of machine, eliminating human intervention and flow of data from franking machines to the Server, Remotely Managed Franking Machines were introduced w.e.f 16.08.2010. As on date, total 10761 Remotely Managed Franking Machines are available across the country under following categories:

Table 2- Remotely Managed Franking Machines

Sl. No.	Category	Number of RMFMs
1	Departmental	795
2	Individual	8640
3	Commercial	1169
4	Departmental (Clicked Charges)	157
Total		10761

Electronic Money Order (EMO)

29. Electronic Money order service was introduced by the Department of Posts in 2008 and as of now, all the Departmental Post Offices across the country have been covered under this service. No extra charges are taken from the senders of the Money Orders for electronic transmission of their money. The advantage of sending money to someone through Electronic Money Order is that the money is delivered at the door step of the payee. Electronic money orders can be tracked through India Post website www.indiapost.gov.in.

Jeevan Pramaan Centres (JPC)

30. Jeevan Pramaan is a biometric enabled digital service for pensioners, which was introduced on 30th June, 2015. In this service, all life certificates which used to be submitted manually by the pensioners are now being submitted digitally by using Aadhar number. These Jeevan Pramaan Centers are in all the 811 Head Post Offices across the country.

Instant Money Order (iMO)

31. Instant Money Order (iMO) is an online domestic money transmission service which is instant, convenient, reliable and affordable. This service is intended for people requiring instant

money remittance. This service enables the customer to quickly transmit money from any of the post offices providing iMO service. Under this service, a person can send an amount from Rs. 1,000 up to Rs. 50,000 in one transaction. Money will be disbursed to the payee at any of the designated iMO Post Offices in India on presentation of a 16 digit iMO number and a photo identity proof. At present, iMO service is available in 16,977 Post Offices across the country.

BUSINESS DEVELOPMENT AND MARKETING

32. Department of Posts, with its vast network of post offices, continuously strives to be a customer service-centric organization. The post office as a one stop shop provides a range of utility services to the customers and offers convenience and affordability at the door steps of the common man. To provide a greater impetus to the business activities and focussed as well as customer centric approach, Department of Posts set up a Business Development Directorate in 1996. It was reorganized as Business Development and Marketing Directorate in the year 2004-05, to provide a better focus on marketing and publicity so as to create more awareness and increase visibility to have increased customer base. With the aim to generate revenue, Department introduced a number of business products and services like Speed Post, Express Parcel, Business Parcel, Retail Post, e-post, e-payment, e-post office, Logistics Post, Business Post, etc.

Post Offices Passport Seva Kendra (POPSK)

33. Post Offices are being transformed to bring convenience to the general public by making third party products and services available in their vicinity through select Post Offices. As part of this initiative, in order to extend passport services to citizens on a larger scale and to ensure wider area coverage, the Ministry of External Affairs (MEA) and the Department of Posts (DOP) have agreed to leverage select Head Post Offices (HPO) in various States as Post Office Passport Seva Kendra (POPSK) for delivering passport related services to the citizens of our country in pursuance of the budget speech 2017 of Union Finance Minister.

34. MEA and DoP agreed to open POPSKs at 491 locations in various states of the country in a

491 स्थानों पर चरणबद्ध रूप से डाकघर पासपोर्ट सेवा केन्द्र (पीओपीएसके) खोलने के लिए सहमति हुई है। दिसम्बर, 2018 तक 253 पीओपीएसके खोले जा चुके हैं। नवम्बर, 2018 तक पासपोर्ट आवेदनों से संबंधित 17 लाख से अधिक अप्वाइंटमेंट्स पर सफलतापूर्वक कार्रवाई की गई है। नागरिकों को उनके पड़ोस में ही पासपोर्ट संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार विदेश मंत्रालय और डाक विभाग के सहयोग से देशभर में चरणबद्ध रूप से उन डाकघरों में जिन पर पारस्परिक रूप से सहमति हुई है, और पीओपीएसके खोल कर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहती है।

डाकघरों में आधार अद्यतन तथा नामांकन की सुविधा प्रदान करना

35. डाक विभाग देशभर में डाकघरों के माध्यम से आधार नामांकन और अद्यतन सुविधाएं प्रदान करके अपने व्यापक नेटवर्क का उपयोग करता रहा है। नामांकन और अद्यतन प्रक्रिया में जनसंख्या की इलेक्ट्रॉनिक गणना और निवासियों की बायोमीट्रिक सूचना शामिल है।

36. नवम्बर, 2018 तक देशभर में सभी 13,352 आधार केन्द्रों की स्थापना की गई है। इससे ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होने के साथ-साथ निवासियों को नया आधार बनवाने में, आधार कार्ड में कोई परिवर्तन करवाने/ किसी गलती को ठीक करवाते हुए उसे अद्यतन करवाने में सुविधा होगी। इससे विभाग को राजस्व भी प्राप्त होगा। इन केन्द्रों में दिसम्बर, 2018 तक लगभग 7.65 लाख नामांकन और 27.75 लाख अपडेशन किए जा चुके हैं।

रिटेल पोस्ट

37. ग्राहकों को उनके द्वार पर पूर्ण सुविधा से तथा किफायती दरों पर विविध जनोपयोगी सेवाएं प्रदान कराए जाने हेतु डाकघरों को वन-स्टॉप शॉप के रूप में विकसित किया जा रहा है। भारतीय डाक, रिटेल पोस्ट सेवा की शुरुआत कर देशभर में डाकघरों के व्यापक नेटवर्क का लाभ उठा रहे हैं। रिटेल पोस्ट के अधीन आने वाली सेवाओं में बिजली के बिलों, टेलीफोन बिलों, कर और शुल्क का संग्रहण, तृतीय पक्ष के उत्पाद, गंगाजल की बिक्री, सूवेरियन गोल्ड बांड की बिक्री और पीआरएस आदि शामिल हैं।

ई-कॉमर्स पोर्टल

38. भारतीय डाक विक्रेताओं को एंड-टु-एंड सहायता प्रदान करने के लिए ई-मार्केट के नए क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। विभाग का यह ई-कॉमर्स पोर्टल, राज्य हस्तशिल्प बोर्डों को शामिल करते हुए छोटे व्यवसाय के मालिकों/ स्वयं सहायता समूहों/ महिला उद्यमियों/ राज्य और केन्द्रीय

पीएसयू/ स्वायत्त निकायों आदि की सहायता के लिए डिजिटल प्लैटफॉर्म प्रदान करने का एक प्रयास है। इसका आशय इन सभी वर्गों को अधिक व्यापक पहुंच प्रदान करना और इस श्रेणी के क्रेता विक्रेता वर्ग के सम्पर्क का माध्यम बनना है। विभाग का उद्देश्य, इस ई-कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से आर्डरों के पारिषण (ट्रांसमिशन) से राजस्व की वृद्धि करना भी है। यह ई-कॉमर्स पोर्टल 13.11.2018 से शुरू हो गया है।

सोशल मीडिया

39. डाक विभाग, भारत सरकार के उन प्रथम कुछ विभागों में से एक है जिसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट खोला है। इससे विभाग अपने ग्राहक आधार से सीधे जुड़ने में समर्थ होता है। अब तक डाक विभाग के, फेसबुक पर 191000 से अधिक और ट्विटर पर 107000 से अधिक फॉलोअर हैं।

पार्सल सेवा पर ध्यान केन्द्रित करना

40. विभाग, बदलती हुई बाजार परिस्थितियों, ग्राहकों की बदलती हुई आवश्यकताओं, उद्योग बेंचमार्क आदि को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अपनी सेवाओं और उत्पादों की समीक्षा करता है तथा डाक सेवाओं में सुधार और डाकघरों में राजस्व की वृद्धि करने के लिए तदनुसार सेवा संबंधी विशेषताओं को संशोधित करने हेतु उपाय/कार्रवाई करता है। ई-कॉमर्स व्यवसाय में प्रवेश करने के कारण पार्सल व्यवसाय में और अधिक वृद्धि और बाजार प्रवृत्ति पर विचार करने के बाद पार्सल व्यवसाय पर और अधिक ध्यान केन्द्रित करने के लिए तथा बाजार के अनुरूप ग्राहकोन्मुखी दृष्टिकोण और सेवाओं के साथ इस व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल, 2018 में एक स्वतंत्र पार्सल निदेशालय की स्थापना की गई। पार्सल नेटवर्क भारतीय डाक के मौजूदा डाक नेटवर्क पर आधारित है, जो विश्व में विशालतम नेटवर्क है। वर्ष 2026 तक भारत में पार्सल बाजार के 15% हिस्से पर कब्जा करने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, पार्सल निदेशालय विपणन और बिक्री कार्यकलापों पर ध्यान केन्द्रित करेगा तथा गुणवत्ता पार्सल सेवाएं प्रदान करेगा। विभाग पार्सल प्रचालन कार्यों तथा पार्सल बिक्री/विपणन संबंधी कार्यकलापों के लिए सर्वक/क्षेत्रीय स्तर पर नई संगठनात्मक संरचना की स्थापना करने के लिए प्रक्रियारत है।

वित्तीय सेवाएं

41. डाक विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से लघु बचत योजनाएं संचालित करता है। दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार,

phased manner. 253 POPSKs have been opened upto December, 2018. Till Nov, 2018 more than 17 lakh appointments relating to passport applications were successfully handled. The Government intends to scale up this programme by opening of more POPSKs at mutually agreed Post Offices in a phased manner all over the country in coordination with MEA and DoP with a view to provide Passport related services to the citizens in their neighbourhood

Aadhaar Updation & Enrolment Facility in Post Offices

35. Department of Posts has been mandated to leverage its vast network by providing Aadhaar Enrolment and Updation facilities through Post Offices across the country. The Enrolment and updation process involves electronic capture of demographic and biometric information of the residents.

36. Till November, 2018 all 13,352 Aadhaar Centres have been set up across the country. This will bring convenience to the residents in generating new Aadhaar and updating their Aadhaar cards in case of any change/mis-match besides increasing footfall in post offices and thus generating revenue for the department. Around 7.65 lakhs Enrolments & 27.75 lakhs updations have been performed upto December, 2018 by these centres.

Retail Post

37. Post Offices are being developed as a one stop shop to provide a range of utility services to the customers providing convenience and affordability at their door steps. India Post is leveraging the vast network of Post Offices across the country by providing services under Retail Post which include collection of electricity bills, telephone bills, taxes, fees, sale of third party products, sale of Gangajal, sale of "Sovereign Gold Bond" and PRS etc

e-Commerce Portal

38. India Post is venturing in new arena of e-market place to provide end to end support to sellers. This e-Commerce Portal of the Department is an endeavour to provide a digital platform to help small business proprietors/self-help groups/women

entrepreneurs/ State and Central PSUs/ Autonomous Bodies etc. besides involving State Handicraft Boards. The intent is to provide wider reach to these segments and be the conduit to link this unreached buyer seller segment. Department also aims to increase revenue from transmission of orders placed through this e-Commerce Portal. The e-Commerce Portal has become operational on 13.11.2018.

Social Media

39. Department of Posts is among the first few Departments of Government of India to set up its social media accounts. This enabled the Department in engaging with its customer base directly. So far Department of Posts has over 191000 followers on Facebook and more than 107000 on Twitter.

FOCUS ON PARCEL SERVICE

40. The Department reviews its services and products from time to time in view of the changing market scenario, changing customer needs, industry benchmarks etc and takes steps/action to modify service features accordingly to improve the postal services and boost the revenue growth of post offices. Considering the market trend and exponential growth in parcel business due to penetration of e-Commerce business, in order to have better focus on parcel business and give boost to this business with a customer oriented approach and offerings in market tune, an independent Parcel Directorate has been set up in April, 2018. The parcel network rides on the existing mail network of India Post, which is the largest in the world. In order to achieve its objective of capturing 15% of the parcel market in India by 2026, Parcel Directorate will focus on marketing and sales activities, robust operational capacity and providing quality parcel services. Department is in the process of setting up new organizational structure at Circle/Region level for Parcel Operations and Parcel Sales/Marketing related activities.

FINANCIAL SERVICES

41. Department of Posts operates Small Savings Schemes on behalf of Ministry of Finance,

इसके अंतर्गत खाताधारकों की संख्या 37.40 करोड़ से अधिक है। बचत बैंक की सुविधा, देश के 1.54 लाख डाकघरों के नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।

42. डाकघर बचत बैंक के अंतर्गत बचत खाता, आवर्ती जमा (आरडी), सावधि जमा (टीडी), मासिक आय योजना (एमआईएस), लोक भविष्य निधि (पीपीएस), राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी), किसान विकास पत्र (केवीपी), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) और सुकन्या समृद्धि योजना खाता जैसी सेवाएं संचालित होती हैं। 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार, डाकघरों में सभी राष्ट्रीय बचत योजनाओं और बचत पत्रों के तहत बकाया शेष 722482.08 करोड़ रुपये से अधिक है। बचत बैंक योजनाओं और बचत पत्रों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

तालिका 3- बचत बैंक योजनाओं का विवरण (31.03.2018 की स्थिति के अनुसार)

स्कीम का नाम	खातों की संख्यां	बकाया शेष (करोड़ रुपए में)
बचत खाते (मनरेगा में शेष राशि सहित)	202449171	86304.98
आवर्ती जमा खाते	121403354	92322.97
सावधि जमा खाते	18742881	99289.07
मासिक आय योजना खाते	15376218	181688.06
राष्ट्रीय बचत पत्र खाते (87 व 92)	272867	3098.74
लोक भविष्य निधि खाते	2530301	69985.6
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस)	1420143	41717.69
मियादी जमा	402	19.76
एमएसवाई खाते	141295	1.51
सुकन्या समृद्धि खाते	11698945	22904.84
योग	374035577	597333.22
बचत पत्र		
राष्ट्रीय बचत पत्र-VIII		87165.57
किसान विकास पत्र		37983.29
योग		125148.86
सकल योग		722482.08

*मनरेगा खातों के बकाया शेष को बचत खातों में शामिल किया गया है।

किसान विकास पत्र

43. किसान विकास पत्र 1 दिसम्बर, 2011 से बंद कर दिए गए थे। 18 नवम्बर, 2014 से इसे पुनः आरंभ किया गया है। 01.01.2019 से 31.03.2019 तक की तिमाही के लिए किसान विकास पत्र की प्रति तिमाही ब्याज दर 7.7% है। किसान विकास पत्र के अंतर्गत निवेश की न्यूनतम राशि 1000/- रु. है। वर्ष 2017-18 के दौरान 16022.94 करोड़ रुपये की जमा राशि के कुल 3618174 केवीपी बेचे गए तथा वर्ष 2018-19 के दौरान दिसम्बर, 2018 तक 20201.95 करोड़ रुपये के निवेश के साथ कुल 2203887 केवीपी बेचे गए। 01-07-2016 से ई-मोड बचत पत्र आरंभ

कर, कागजी बचत पत्र बंद कर दिए गए हैं।

कोर बैंकिंग सॉल्यूशन

44. कोर बैंकिंग सॉल्यूशन भारतीय डाक की सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण परियोजना का भाग है तथा इसका उद्देश्य डाकघरों में आवश्यक आईटी के आधारभूत ढांचे सहित विभिन्न आईटी आधुनिकीकरण समाधानों को लागू करना है। भारतीय डाक सभी विभागीय डाकघरों में कोर बैंकिंग को कार्यान्वित करने की योजना बना रहा है। मोबाइल एप्लीकेशनों तथा हैड-हेल्ड उपकरणों द्वारा ग्रामीण डाकघरों को बैंकिंग सॉल्यूशन उपलब्ध करवाए जाएंगे। यह परियोजना डाकघरों में एटीएम, इंटरनेट तथा मोबाइल बैंकिंग की सुविधाएं मुहैया कराएगी।

45. डाक विभाग ने मैसर्स इंफोसिस लिमिटेड, वित्तीय सेवा इंटीग्रेटर (एफएसआई), वेंडर के साथ कोर बैंकिंग सॉल्यूशन तथा एटीएम की स्थापना हेतु एक संविदा पर हस्ताक्षर किए हैं। परियोजना का आरंभ 28.09.2012 से हुआ। 31.10.2018 तक 23615 डाकघरों में सीबीएस लागू कर दिया गया है तथा इस समय 995 एटीएम कार्य कर रहे हैं। 31.12.2016 से ये एटीएम बैंकों के साथ अंतरप्रचालित हो गए हैं। भारतीय डाक के डेबिट कार्डधारक उपभोक्ता अन्य बैंकों के एटीएम से लेन-देन कर सकते हैं तथा इसी प्रकार अन्य बैंकों के उपभोक्ता भारतीय डाक के एटीएम से लेन-देन कर सकते हैं।

46. इंटरनेट बैंकिंग सुविधा डाकघर बचत बैंक (पीओएसबी) में शुरू की गई है। पीओएसबी ग्राहकों के लिए यह अंतरा-प्रचालनीय सुविधा है।

अंतर्राष्ट्रीय धन अंतरण सेवा

47. यह सेवा रीयल टाइम आधार पर लगभग 195 देशों से भारतीय ग्राहकों को तत्काल अंतर्राष्ट्रीय धनप्रेषण की सुविधा प्रदान करती है। भारतीय डाक, वेस्टर्न यूनियन के सहयोग से यह सेवा, 9955 डाकघरों से संचालित कर रहा है। वर्ष 2018-19 में सितम्बर, 2018 तक इस सेवा से अर्जित राजस्व 5.15 करोड़ रुपये है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (सभी नागरिक मॉडल)

48. डाक विभाग, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)(सभी नागरिक मॉडल) की सुविधा भी प्रदान करता है। आवेदन जमा करने की तिथि तक 18 से 65 वर्ष की आयु वर्ग के भारत के नागरिक एनपीएस में शामिल हो सकते हैं।

Government of India. Post Office Savings Bank (POSB) has a customer base of more than 37.40 crore account holders as on 31.03.2018. Savings Bank facility is provided through a network of 1.54 lakh Post Offices across the country.

42. The Post Office Savings Bank operates Savings Accounts, Recurring Deposit (RD), Time Deposit (TD), Monthly Income Scheme (MIS), Public Provident Fund (PPF), National Savings Certificate (NSC), Kisan Vikas Patra (KVP), Senior Citizens Savings Scheme (SCSS) and Sukanya Samridhi Account. The outstanding balance under all National Savings Schemes and Saving Certificates in Post Office is over Rs. 722482.08 Crore as on 31.03.2018. The profile of the Savings Bank Schemes and Saving Certificate is as un

Table 3- Savings Bank Scheme : Profile (AS ON 31.3.2018)

Name of the Schemes	Number of Accounts	Outstanding Balance (Rs. In Crores)
Savings Accounts (including MGNREGA with balance)	202449171	86304.98
RD Accounts	121403354	92322.97
TD Accounts	18742881	99289.07
MIS Accounts	15376218	181688.06
NSS Accounts (87 & 92)	272867	3098.74
PPF Accounts	2530301	69985.6
Sr. Citizens Savings Scheme (SCSS)	1420143	41717.69
Fixed Deposits	402	19.76
MSY Accounts	141295	1.51
Sukanya samridhi Account	11698945	22904.84
Total	374035577	597333.22
Savings Certificate		
NSC VIII		87165.57
KVP		37983.29
TOTAL		125148.86
GRAND TOTAL		722482.08

*Outstanding balance of MGNREGA accounts is included in Savings Accounts.

Kisan Vikas Patras

43. Kisan Vikas Patra (KVP) which was discontinued with effect from 1st December 2011, was relaunched on 18th November 2014. The quarterly interest rate of KVP is 7.7 percent for the quarter 01.01.2019 to 31.03.2019. Minimum investment in Kisan Vikas Patra is Rs. 1000. Total 3618174 KVPs were sold during 2017-18 with deposit of Rs. 16022.94 crores and 2203887 KVPs

were sold during 2018-19 upto December, 2018 with an investment of Rs. 20201.95 crores. Physical certificates have been discontinued by introducing e-mode certificates w.e.f. 1.07.2016.

Core Banking Solution

44. The Core Banking Solution is part of India Post IT Modernization project and aims to bring in various IT solutions with required IT infrastructure in Post Offices. India Post plans to implement core banking in all Departmental Post Offices. Banking Solution through Mobile Application and Hand-Held Devices will be provided to the Rural Post Offices. The project will bring in facilities of ATM, Internet and Mobile Banking to the Post Offices.

45. Department of Posts has signed the contract with M/s Infosys Ltd, the Financial Services Integrator (FSI) vendor, for implementing Core Banking Solutions and for installing ATMs. The project started on 28.9.2012. As on 31.10.2018, 23615 post offices have been migrated to CBS environment and 995 ATMs are functioning as on date. From 31.12.2016, these ATMs have become interoperable with banks. India Post customers having Debit cards can do transactions on other bank ATMs and similarly other bank customers can transact on India Post ATMs as well.

46. Internet banking facility has been launched in Post Office Savings Bank (POSB). It is an intra-operable facility for the POSB customers.

International Money Transfer Service

47. The Service enables instant international money remittance to customers in India sent from around 195 countries on a real time basis. India Post is operating this Service in association with Western Union from 9955 post office locations. The revenue generated from the service in 2018-19 upto Sept.2018 is Rs 5.15 crore.

National Pension System (All citizens Model)

48. India Post is a point of presence for National Pension System (NPS) (All citizens Model). Any citizen of India between 18 to 65 years of age as on the date of submission of his/her application can join

इन पेंशन अंशदानों का, पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा नियुक्त विभिन्न पेंशन निधि प्रबंधकों द्वारा उपभोक्ता की पसंद के अनुसार विभिन्न स्कीमों में निवेश किया जाता है।

म्युचुअल फंड की रिटेलिंग

49. डाकघर देश के पूंजी बाजार की पहुंच का विस्तार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा बाजार आधारित निवेश के विकल्पों के लिए आम आदमी को आसान पहुंच भी प्रदान करता है। इस समय, यूटीआई के म्युचुअल फंड की बिक्री चुनिंदा डाकघरों द्वारा की जा रही है।

सुकन्या समृद्धि खाता

50. सुकन्या समृद्धि खाता, बालिकाओं के कल्याण के लिए प्रारंभ की गई नई लघु बचत योजना है, जिसका शुभारंभ 22 जनवरी, 2015 से हुआ। इस योजना के अंतर्गत, कोई कानूनी/नैसर्गिक संरक्षक, कन्या शिशु के जन्म की तिथि से 10 वर्ष तक, किसी एक कन्या शिशु के नाम से केवल एक खाता और दो अलग-अलग बालिकाओं के नाम से अधिकतम दो खाते खोल सकेगा। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 5926.37 करोड़ रुपये की कुल जमा राशि के कुल 16.95 लाख खाते खोले गए तथा वर्ष 2018-19 के दौरान दिसम्बर, 2018 तक 4306.20 करोड़ रुपये की जमा राशि के 15.74 लाख खाते खोले गए।

जन सुरक्षा योजनाएं

51. जन सुरक्षा योजनाएं अर्थात् प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) सभी सीबीएस डाकघरों में 07 सितम्बर, 2015 से प्रारंभ की गई हैं। ये योजनाएं सभी खाताधारकों के लिए उपलब्ध हैं। दिनांक 01 दिसम्बर, 2015 से 808 सीबीएस प्रधान डाकघरों में अटल पेंशन योजना (एपीवाई) का शुभारंभ किया गया है, जिसे और 20430 सीबीएस उप डाकघरों में लागू किया जा चुका है। इसके शुभारंभ से लेकर 31 दिसम्बर, 2018 तक डाकघरों में 5696096 पीएमएसबीवाई, 306723 पीएमजेजेबीवाई तथा 262787 एपीवाई नामांकन किए जा चुके हैं।

डाक जीवन बीमा

52. सन् 1884 में प्रारंभ की गई डाक जीवन बीमा योजना (पीएलआई), सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कर्मचारियों के हितलाभ के लिए

शुरू की गई सबसे पुरानी जीवन बीमा योजना है। प्रारंभ में यह सेवा केवल डाक कर्मचारियों के लिए शुरू की गई थी। आज इस योजना के तहत केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के सिविल तथा सैन्य कर्मियों, स्थानीय निकायों, सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, स्वायत्त संस्थानों और केन्द्र व राज्यों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, ऋण सहकारी समितियों तथा एनएएस, एआईसीटीई, एमसीआई आदि जैसे मान्यता प्राप्त निकायों से प्रत्यायित शैक्षणिक संस्थानों और मानित विश्वविद्यालयों, केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र की न्यूनतम 10% भागीदारी वाले संयुक्त उपक्रमों के कर्मचारियों तथा सरकार द्वारा अनुबंध के आधार पर, जहां अनुबंध की अवधि बढ़ाई जा सकती है, नियोजित/नियुक्त किए गए कर्मचारियों को यह सेवा प्रदान की जा रही है।

53. इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित श्रेणी के कर्मचारियों/व्यवसायियों को पीएलआई कवरेज के अंतर्गत लाया गया है:

(i) उन सभी निजी शैक्षणिक संस्थानों/स्कूलों/कॉलेजों आदि के कर्मचारी (शिक्षण/गैर-शिक्षण स्टाफ) जो माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा के मान्यताप्राप्त बोर्डों (केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा मान्यताप्राप्त) अर्थात् सीबीएसई, आईसीएसई, राज्य बोर्डों, ओपन स्कूलों आदि से संबद्ध हैं।

(ii) डॉक्टर (किसी सरकारी/निजी अस्पताल के माध्यम से स्नातकोत्तर डिग्री हेतु अध्ययन कर रहे डॉक्टरों, संविदा/स्थायी आधार पर किसी सरकारी/निजी अस्पताल आदि में लगे हुए रेजिडेंट डॉक्टर), इंजीनियर ('गेट' प्रवेश परीक्षा पास करने के बाद मास्टर/स्नातकोत्तर डिग्री हेतु अध्ययन कर रहे इंजीनियरों सहित) प्रबंध परामर्शदाता, भारतीय चार्टरित लेखाकार संस्थान में पंजीकृत चार्टरित लेखाकार, वास्तुकार, भारत/राज्य के विधिज्ञ परिषद (बार काउंसिल) में पंजीकृत वकील/राष्ट्रीयकृत बैंकों और इसके सहयोगी बैंकों में कार्यरत बैंकर्स, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, निजी क्षेत्र के बैंकों आदि सहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक आदि।

(iii) सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग और वित्त, स्वास्थ्य देखभाल/फार्मा, ऊर्जा/विद्युत दूरसंचार अवसंरचना क्षेत्र आदि में एनएसई (नेशनल स्टॉक एक्सचेंज) और मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) की सूचीबद्ध कंपनियों के कर्मचारी, जो भविष्य निधि/ग्रेच्युटी के लिए कवर किए जाते हैं अथवा संगठन द्वारा उनकी छुट्टियों का रिकार्ड रखा जाता है।

54. ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के लाभार्थ उन्हें बीमा कवर प्रदान करने के लिए 1995 में ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आरपीएलआई)

NPS. The pension contributions are invested in various schemes by different Pension Fund Managers appointed by Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA).

Retailing of Mutual Funds

49. The post office is playing an important role in extending the reach of the capital market of the country and also provides the common man an easy access to market based investment options. Presently, Mutual Funds of UTI MF are being retailed through Selected Post Offices.

Sukanya Samridhi Account

50. Sukanya Samridhi Account, a new Small Savings Scheme for the welfare of girl child, was launched on 22nd January 2015. Under the scheme, a legal/natural guardian can open only one account in the name of one girl child and maximum two accounts in the name of two different girl children up to 10 years from date of birth of the girl child. Total 16.95 lakh accounts were opened during F.Y.2017-18 with total deposit of Rs. 5926.37 Crores and 15.74 lakh accounts have been opened during 2018-19 with total deposit of Rs. 4306.20 Crores upto December, 2018.

Jan Suraksha Schemes

51. Jan Suraksha Schemes viz. Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna (PMSBY) and Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojna (PMJJBY) were launched w.e.f. 07.09.2015 in all CBS Post Offices. The schemes are available to all Post Office Savings Account holders. Atal Pension Yojna (APY) was launched in 808 CBS Head Post Offices from 1st December, 2015 which is further extended to 20430 CBS sub post offices. Since inception, 5696096 PMSBY, 306723 PMJJBY and 262787 APY enrollments have been made in Post offices till 31st December, 2018.

POSTAL LIFE INSURANCE

52. Postal Life Insurance (PLI), introduced in 1884, is the oldest life insurance scheme for benefit of the Government and semi Government employees. Initially meant only for the Post Office employees, today it caters to employees of the Civil and Military personnel of the Central and State Governments, Local Bodies,

Government aided educational institutions, Universities, Nationalized Banks, Autonomous institutions, Public Sector Undertakings of the Central and State Government, employees of organizations such as Scheduled Commercial Banks, Credit Co-operative Societies, Deemed Universities and Educational Institutes accredited by recognized bodies as much as National Assessment and Accreditation Council (NAAC), All India Council for Technical Education (AICTE), Medical Council of India (MCI) etc., joint ventures having a minimum of 10% stake of Central/State Governments/PSUs and employees engaged/appointed on contract basis by Governments where the contract is extendable.

53. Further, following category of employees/professionals have been brought under the PLI coverage:

(i) Employees (teaching/non-teaching staff) of all private educational institutions/schools/colleges etc. affiliated to recognized Boards (recognized by Centre/State Governments) of Secondary/Senior Secondary Education i.e. CBSE, ICSE, State Boards, Open Schools etc.

(ii) Professionals such as Doctors (including Doctors pursuing Post Graduate degree courses through any Govt/Private Hospitals, Resident Doctors employed on contract/permanent basis in any Govt/Private Hospitals etc.), Engineers (including Engineers pursuing Master's /Post Graduate degree after having passed GATE entrance test), Management Consultants, Chartered Accountants registered with Institute of Chartered Accountants of India, Architects, Lawyers registered with Bar Council of India /States, Bankers working in Nationalized Banks and its Associate Banks, Foreign Banks, Regional Rural Banks, Scheduled Commercial Banks including Private sector Banks etc.

(iii) Employees of listed companies of NSE (National Stock Exchange) and Bombay Stock Exchange (BSE) in IT, Banking & Finance, Healthcare/Pharma, Energy/Power, Telecom Infrastructure Sector etc, where employees are covered for Provident Funds/Gratuity and/or their leave records are maintained by the establishment.

54. Rural Postal Life Insurance (RPLI) scheme was introduced in 1995 for the benefit of rural

योजना की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत कमजोर वर्गों और महिला कामगारों पर सबसे अधिक बल दिया गया।

55. पीएलआई के बीमा (बीमित राशि) की अधिकतम सीमा 50 लाख रु. और आरपीएलआई की सीमा 10 लाख रु. है।

56. 2017-18 के दौरान अर्जित व्यवसाय तथा 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार पीएलआई/आरपीएलआई में कुल बीमित राशि निम्नानुसार है:-

तालिका-4 पीएलआई/आरपीएलआई का निष्पादन

योजना का नाम	वर्ष 2017-18 में प्राप्त नई पॉलिसियों की संख्या (लाख में)	बीमित राशि (करोड़ रु. में)	सक्रिय पॉलिसियों की कुल संख्या (लाख में)	कुल बीमित राशि (करोड़ रु. में)	प्रीमियम आय (करोड़ रु. में)
पीएलआई	2.43	13305.72	43.59	116499.39	7519.64
आरपीएलआई	5.23	7298.29	136.61	80811.39	2184.52

57. आईआरडीए के दिशानिर्देशों के अनुसार, 04 नवम्बर, 2009 से डाकघर जीवन बीमा निधि और ग्रामीण डाकघर जीवन बीमा निधि की निवल अभिवृद्धि राशि का सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य पोर्टफोलियों में निवेश किया जा रहा है।

58. पीएलआई और आरपीएलआई पॉलिसियों को जारी रखने के लिए बोनस निम्नलिखित दरों पर घोषित किया गया है:

तालिका-5 पीएलआई/आरपीएलआई पर बोनस की दरें

योजना	प्रतिवर्ष 1000 रु. की बीमित राशि के लिए बोनस की दरें		
	आजीवन बीमा	बंदोबस्ती बीमा	प्रत्याशित बीमा
31.03.2016 की स्थिति के अनुसार पीएलआई	85 रु.	58 रु.	53 रु.
31.03.2016 की स्थिति के अनुसार आरपीएलआई	65 रु.	50 रु.	47 रु.

59. वर्ष 2017-18 के दौरान पीएलआई तथा आरपीएलआई के संबंध में दावों के निपटान का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

तालिका-6 2017-18 के दौरान पीएलआई/आरपीएलआई के अंतर्गत निपटाए गए दावे

विवरण	पीएलआई	आरपीएलआई
दावों की संख्या (लाख में)	2.29	2.26
भुगतान की गई राशि (करोड़ रुपये में)	3802.16	787.18

कोर बीमा समाधान (सीआईएस) परियोजना का रोलआउट :

60. वित्तीय सिस्टम इंटीग्रेटर (एफएसआई) परियोजना 2012 के तहत सभी पीएलआई/आरपीएलआई प्रचालनों को आटोमेटेड कर दिया गया है। एफएसआई परियोजना में नए पीएलआई साफ्टवेयर के लिए विकसित व्यावसायिक प्रक्रियाओं में केन्द्रीय प्रोसेसिंग केन्द्र (सीपीसी) पर किए जाने वाले सभी प्रोसेसिंग कार्य शामिल हैं जिसमें सीपीसी से इतर फाइलों के संचलन के बिना सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऑनलाइन अनुमोदन प्रदान किए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा, 12 लाख से अधिक संख्या वाली एपीएस (बेस सर्कल) की पीएलआई पॉलिसियों को जून, 2018 में मैककेमिश प्रणाली में स्थानांतरित कर दिया गया है। एपीएस की पीएलआई पॉलिसियों के ग्राहक अब निम्न कार्य करने में सक्षम हैं:- (i) पूरे भारत में पॉलिसी संबंधी अनुरोध भेजना/कार्रवाई करना (ii) पूरे भारत में किसी भी डाकघर में प्रीमियम का भुगतान करना और ग्राहक पोर्टल के जरिए प्रीमियम का ऑनलाइन भुगतान करना।

61. दर्पण – पीएलआई ऐप की शुरुआत अप्रैल, 2018 में की गई थी। दर्पण-पीएलआई ऐप के अंतर्गत प्रदान की गई सुविधाएं इस प्रकार हैं:

+ ग्रामीण क्षेत्रों में पॉलिसियों के ऑनलाइन अपडेशन सहित शाखा डाकघरों में पीएलआई और आरपीएलआई पॉलिसियों के लिए प्रीमियम का संग्रहण।

+ ग्रामीण क्षेत्रों के शाखा डाकघर में ही पीएलआई और आरपीएलआई पॉलिसियों के अंतर्गत परिपक्वता दावों की सूची तैयार करना।

+ इन पहलों से पीएलआई और आरपीएलआई के ग्राहकों को बेहतर आप्टर-सेल्स सेवाएं उपलब्ध कराने में डाक विभाग को सहायता मिलेगी, विशेषकर उन लोगों को जो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं।

सम्पूर्ण बीमा ग्राम (एसबीजी) योजना

62. सम्पूर्ण बीमा ग्राम (एसबीजी) योजना के तहत, देश के प्रत्येक राजस्व जिले में कम से कम एक ग्राम (जिसमें न्यूनतम 100 परिवार हों) की पहचान की गई है जिसमें प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य की आरपीएलआई (ग्रामीण डाक जीवन बीमा) करके उस ग्राम के सभी परिवारों को कवर करने का प्रयास किया गया है। चिह्नित सम्पूर्ण बीमा ग्राम के सभी परिवारों को कवर करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।

63. सांसद आदर्श ग्राम (एसएजी), इस योजना के तहत माननीय संसद सदस्यों द्वारा गोद लिए ग्रामों को भी सम्पूर्ण बीमा ग्राम (एसबीजी)

populace to extend insurance cover to the people living in rural areas with special emphasis on weaker sections and women workers.

55. Maximum limit of insurance (sum assured) of PLI is Rs. 50 lakh and of RPLI is Rs. 10 lakh.

56. The business procured during the year 2017-18 and the total sum assured in PLI /RPLI as on 31.03.2018 is as under:

Table 4 - Performance Of PLI/RPLI

Name of Plan	No. of new policies procured in year 2017-18 (in lakh)	Sum Assured (in Rs. cr)	Aggregate No. of active Policies (in lakh)	Aggregate Sum Assured in (in Rs. cr)	Premium income (in Rs. cr)
PLI	2.43	13305.72	43.59	116499.39	7519.64
RPLI	5.23	7298.29	136.61	80811.39	2184.52

57. Net accretions to Post Office Life Insurance Fund (POLIF) and Rural Post Office Life Insurance Fund (RPOLIF) are being invested in Government securities and other portfolios as per IRDA guidelines since 4th November 2009.

58. The bonus for continuing PLI and RPLI Policies has been declared at the following rates:

Table 5 - Rate Of Bonus On PLI / RPLI

Plan	Rates of Bonus per Rupees thousand sum assured per annum		
	Whole Life Assurance	Endowment Assurance	Anticipated Assurance
PLI as on 31.03.2016	Rs.85	Rs.58	Rs.53
RPLI as on 31.03.2016	Rs.65	Rs.50	Rs.47

59. The claims in respect of PLI and RPLI policies settled during the year 2017-18 are as under:

Table 6 - Claims Settled In PLI / RPLI during 2017-18

Details	PLI	RPLI
Number of Claims (in lakh)	2.29	2.26
Amount paid (in Rs. crore)	3802.16	787.18

Roll Out Of Core Insurance Solution (CIS) Project

60. All the PLI / RPLI operations have been automated under FSI Project 2012. The business

processes developed for the new PLI Software in the FSI project involve all processing work to be done at Central Processing Centers (CPCs) with provision for online approval by the competent authority without any physical movement of files beyond CPCs. Further, PLI Policies of APS (Base Circle) numbering more than 12 Lakh Policies have been migrated to McCamish System in June 2018. Customers of PLI Policies of APS are now able to (i) Get Policy servicing requests accepted/processed PAN India (ii) Pay premium in any Post Office PAN India and also pay premium online through Customer Portal.

61. DARPAN-PLI App was launched in April 2018. Facilities offered under DARPAN-PLI APP are:

✦ Collection of premia for PLI and RPLI policies at Branch Post Office in rural areas, with online updation of the policies.

✦ Indexing of maturity claims in respect in PLI and RPLI Policies at Branch Post Office in rural areas itself.

✦ These initiatives will help Department of Posts in providing better after-sales services to Customers of PLI and RPLI, particularly to those living in rural areas of the country.

Sampoorna Bima Gram (SBG) Yojana

62. Under Sampoorna Bima Gram (SBG) Yojana, at least one village (having a minimum of 100 households) has been identified in each of the revenue districts of the country, wherein endeavor have been made to cover all households of that identified village with a minimum of one RPLI (Rural Postal Life Insurance) policy each. Coverage of all households in the identified Sampoorna Bima Gram Village is the primary objective of this scheme.

63. Saansad Adarsh Grams (SAGs), under this scheme the villages adopted by Hon'ble Members of Parliament have also been brought under the ambit of Sampoorna Bima Gram (SBG) Yojana, wherein all households of the villages adopted by Members of Parliament under Saansad Adarsh

योजना के दायरे में लाया गया है, जिसमें सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत संसद सदस्यों द्वारा गोद लिए गए गांवों के सभी परिवारों को, प्रत्येक के लिए कम से कम एक आरपीएलआई पॉलिसी द्वारा कवरेज प्रदान करके कवर किया जाएगा।

64. विभाग द्वारा ये दो पहलें, लोगों के जीवन को सुरक्षित करने के एक साधन के रूप में और वित्तीय समावेशन बढ़ाने की दिशा में उठाए गए एक कदम के रूप में की जा रही है।

वित्तीय प्रबंधन

65. डाक विभाग अपने विशाल राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के माध्यम से देश के प्रत्येक नागरिक को डाक सुविधाएं सुलभ कराता है। डाक सेवाएं प्रदान करने के अतिरिक्त, डाकघर भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/ विभागों/ अन्य संगठनों की ओर से बचत बैंक, पेंशन भुगतान, बचत पत्रों की बिक्री आदि जैसी एजेंसी सेवाएं भी प्रदान करता है।

66. वर्ष 2018 के दौरान, बचत बैंक तथा बचत पत्रों के पारिश्रमिक सहित कुल राजस्व 13084.76 करोड़ रु. अर्जित किए जाने की संभावना है तथा एजेंसी कार्य के लिए अन्य मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त कुल राशि (वसूलियां) 804.62 करोड़ रु. होगी। वर्ष 2018 हेतु सकल कार्यकारी व्यय 28782.22 करोड़ रुपए होगा। विभाग का घाटा 14892.84 करोड़ रु. होने की संभावना है।

तालिका-7 वर्ष 2018 के दौरान राजस्व और व्यय

(करोड़ रु. में)

विवरण	वास्तविक		कुल 2018
	जनवरी से मार्च, 2018	अप्रैल से दिसम्बर, 2018	
राजस्व			
डाक टिकटों की बिक्री	63.93	36.93	100.86
नकदी के रूप में प्राप्त डाक-शुल्क	1094.36	2594.03	3688.39
मनीआर्डर तथा भारतीय पोस्टल आर्डर पर कमीशन	56.64	184.04	240.68
बचत बैंक/बचत पत्र कार्य के लिए पारिश्रमिक	2448.24	5762.60	8210.84
+अन्य प्राप्तियां	288.58	555.41	843.99
कुल	3951.75	9133.01	13084.76
व्यय			
सामान्य प्रशासन	373.08	1602.33	1975.41
प्रचालन	3086.01	13416.51	16502.52
एजेंसी सेवाएं	172.13	422.66	594.79
**अन्य	2772.77	6936.73	9709.50
कुल सकल व्यय	6403.99	22378.23	28782.22
घटाएं वसूलियां	265.77	538.85	804.62
निवल व्यय	6138.22	21839.38	27977.60
घाटा (निवल व्यय - राजस्व)	2186.47	12706.37	14892.84

* इसमें पासपोर्ट आवेदन पत्र, पासपोर्ट शुल्क टिकट, केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकट, अन्य डाक प्रशासनों आदि से प्राप्तियों के लिए डाक विभाग द्वारा प्राप्त सेवा प्रभार शामिल हैं। डाक-टिकटों के विक्रय में डाक-टिकटों, सेवा टिकटों का विक्रय शामिल है।

* * इसमें लेखापरीक्षा व लेखा, सिविल इंजीनियरी, कर्मचारियों को सुविधाएं, लेखन-सामग्री तथा मुद्रण आदि शामिल है।

तालिका- 8 एजेंसी सेवाओं के कारण कार्यकारी व्यय की वसूली- 2018

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	वास्तविक		कुल 2018
		जनवरी से मार्च, 2018	अप्रैल से दिसम्बर, 2018	
1.	कोयला खानों तथा ईपीएफ पेंशन/ परिवार पेंशन तथा विविध सेवाओं का भुगतान (डीओटी/बीएसएनएल/एमटीएनएल)	32.19	5.60	37.79
2.	रेलवे पेंशन का भुगतान	1.87	8.59	10.46
3.	डाक जीवन बीमा	236.88	523.80	760.68
4.	सीमा शुल्क वसूली	5.37	0.00	5.37
5.	+अन्य	-10.54	0.86	-9.68
	कुल	265.77	538.85	804.62

* इसमें दिल्ली प्रशासन के गैर-डाक-टिकटों के विक्रय पर कमीशन, सेना डाक सेवा लेखा तथा अन्य सरकारी विभागों की वसूलियां आदि शामिल हैं।

67. विभाग की आय 'वसूलियों' तथा 'राजस्व प्राप्तियों' के रूप में है। उल्लिखित मद 'वसूलियां' अन्य विभागों तथा संगठनों की ओर से प्रदान की गई एजेंसी सेवाओं हेतु विभाग द्वारा अर्जित कमीशन की राशि को दर्शाती है तथा 'राजस्व प्राप्तियां' डाक वस्तुओं के विक्रय, मनीआर्डर तथा भारतीय पोस्टल आर्डर पर कमीशन, इत्यादि के पारिश्रमिक के कारण हैं।

पूंजीगत परिव्यय

68. वर्ष 2018 के दौरान नियत परिसंपत्तियों पर 634.09 करोड़ रु. व्यय होगा जिसमें से 13.53% भूमि तथा भवनों पर, 82.93% डाक सेवाओं के यांत्रिकीकरण तथा उनके आधुनिकीकरण पर और 3.54% मेल मोटर वाहनों तथा अन्य पर व्यय होगा।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक

69. आईपीपीबी की स्थापना, भारत सरकार की 100% इक्विटी के साथ डाक विभाग के अधीन की गई है। इसका उद्देश्य बैंकिंग सुविधाओं से वंचित तथा अपर्याप्त बैंकिंग सुविधाओं वाले लोगों की राह की बाधाएं हटा कर

Gram Yojana will be covered by a minimum of one RPLI policy each.

64. These two initiatives are being undertaken by Department as an instrument of securing lives of people as well as a step towards enhancing financial inclusion.

FINANCIAL MANAGEMENT

65. The Department of Post provides postal services to the public through a large nationwide network of post offices. Besides providing purely postal services, post offices perform agency functions like Saving Bank, payment of pension, sale of Cash Certificates etc. on behalf of other Ministries/ Departments of the Government of India/Other Organizations.

66. The total revenue, including remuneration for SB & SC work likely to be earned during the year 2018 is Rs.13084.76 crore and the amount received from other Ministries/ Departments as Agency charges (recoveries) would be Rs. 804.62 crore. Gross working expenditure for the year 2018 would be Rs. 28782.22 crore . Deficit of the department is likely to be Rs.14892.84 crore.

Table 7- Revenue & Expenditure during 2018

(Rs in Crores)

Particulars	Actual	Actual	Total 2018
	Jan to March 2018	April to Dec 2018	
Revenue			
Sale of Stamps	63.93	36.93	100.86
Postage Realised in Cash	1094.36	2594.03	3688.39
Commission on Money Orders and Indian Postal Orders etc	56.64	184.04	240.68
Remuneration for Saving Bank/Saving Certificates Work.	2448.24	5762.60	8210.84
* Other Receipts	288.58	555.41	843.99
Total	3951.75	9133.01	13084.76
Expenditure			
General Administration	373.08	1602.33	1975.41
Operation	3086.01	13416.51	16502.52
Agency Services	172.13	422.66	594.79
**Others	2772.77	6936.73	9709.50
Total Gross Expenditure	6403.99	22378.23	28782.22
Less Recoveries	265.77	538.85	804.62
Net Expenditure	6138.22	21839.38	27977.60
Deficit (Net Exp - Revenue)	2186.47	12706.37	14892.84

** This includes service charges retained by

the Department of Posts from sale of Passport Application Form, Passport Fee Stamps, Central Recruitment Fee Stamps, receipts from other Postal Administrations etc. Sale of stamps includes sale of Postage stamps, service stamps.

** This includes Audit and Accounts, Civil Engineering, Amenities to staff, Stationery and Printing etc.

Table 8 - Recovery of Working Expenses on account of Agency Services - 2018

(Rs in Crores)

Sl No	Head of Account	Actuals		Total 2018
		Jan to March 2018	April to Dec 2018	
1	Payment of Coal Mines and EPF/Family pension and misc services (DOT/BSNL/MTNL)	32.19	5.60	37.79
2	Payment of Railway Pension	1.87	8.59	10.46
3	Postal Life Insurance	236.88	523.80	760.68
4	Custom Duty Realisation	5.37	0.00	5.37
5	*Others	-10.54	0.86	-9.68
	Total	265.77	538.85	804.62

* This includes Commission on sale of Non-Postal stamps of Delhi Administration, Recoveries from Army Postal Service Accounts and other Government Departments etc.

67. The earnings of the Department are in the form of 'Recoveries' and 'Revenue Receipts'. The item 'Recoveries' represents the amount of commission earned by the Department for Agency Functions done on behalf of other Departments and organizations and Revenue Receipts are on account of sale of Postal articles, commission on money orders and Indian.

Capital Outlay

68. The expenditure on fixed assets in the year 2018 would be Rs. 634.09 crore, of which 13.53 % would be on Land and Buildings, 82.93 % on Mechanization and Modernization of Postal Services and 3.54 % on Mail Motor Vehicles and others.

INDIA POST PAYMENTS BANK

69. With the vision of spearheading the financial inclusion agenda by removing the barriers for the unbanked and under banked population by providing

उन्हें किफायती दरों पर वित्तीय सेवाएं उपलब्ध करवाते हुए देश में वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस परियोजना को मंत्रिमंडल द्वारा 01.06.2016 को इस निर्देश के साथ अनुमोदित किया गया कि इस बैंक की सभी 650 शाखाओं का रोलआउट किया जाए तथा देश के सभी 1.55 लाख डाकघरों को आईपीपीबी नेटवर्क के साथ संबद्ध किया जाए। आईपीपीबी की स्थापना कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में की गई।

70. भारतीय रिजर्व बैंक से 20.01.2017 को अंतिम तौर पर लाइसेंस प्राप्त होने के बाद पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से 6 सेवा केंद्रों सहित रायपुर एवं रांची में आईपीपीबी की दो प्रायोगिक शाखाएं शुरू की गई हैं। तत्पश्चात्, आरबीआई से आईपीपीबी नेटवर्क के विस्तार का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 01.09.2018 को इस परियोजना का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। आईपीपीबी की सभी 650 शाखाएं तथा 3250 सेवा केंद्र आईपीपीबी के अपने प्रौद्योगिकी तंत्र का प्रयोग कर रहे हैं।

71. आईपीपीबी विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध करा रहा है, जिनमें बचत एवं चालू खाते, धन प्रेषण तथा धनांतरण, प्रत्यक्ष लाभांतरण, बिल एवं अन्य जनोपयोगी भुगतान तथा उद्यमों एवं व्यापारियों संबंधी भुगतान सुविधाएं शामिल हैं। साथ ही, भुगतान बैंक के लिए आरबीआई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आईपीपीबी, तृतीय पक्षकारों के उत्पाद जैसे निवेश, ऋण और बीमा जैसी सेवाएं भी उपलब्ध करा रहा है। आईपीपीबी, भारतीय डाक के विशाल नेटवर्क और 1,30,000 सेवा केंद्रों (डाकघरों) के साथ ग्रामीण भारत में व्यापक पहुंच का लाभ उठा रहा है। डाकघरों की यह विशाल संख्या ग्रामीण भारत में मौजूद अन्य बैंकों की कुल शाखाओं का लगभग 2.5 गुना है, जोकि देश के प्रत्येक घर तक अपनी पहुंच बनाने के लिए पर्याप्त है।

72. मंत्रिमंडल द्वारा इस परियोजना हेतु कुल अनुमोदित लागत 1435 करोड़ रु. है। रोलआउट योजना के अनुसार, सभी 1.55 लाख डाकघरों में 31 दिसंबर, 2018 तक बैंक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। अद्यतन स्थिति के अनुसार, 124260 सेवा केंद्र प्रारंभ कर दिए गए हैं और शेष सभी सेवा केंद्र भी 31 मार्च, 2019 तक शुरू कर दिए जाएंगे। अब तक लगभग 22 लाख खाते खोले गए हैं, जिनमें कुल जमा राशि 3812 लाख रु. है। आईपीपीबी लेन-देन कार्य के प्रयोजनार्थ प्रमाणित तथा योग्य एंड यूजरों की कुल संख्या 1.37 लाख है।

ग्रामीण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के परिकलन हेतु सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से डाटा संग्रहण कार्य

73. ग्रामीण मूल्य सूचकांकों की रूपरेखा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम

कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा तैयार की गई है और मुद्रास्फीति तथा कीमतों में उतार-चढ़ाव का अनुमान लगाने के लिए नियमित अंतराल पर इनका परिकलन किया जाता है, ताकि उपयुक्त नीतियां बनाई जाएं और उनका कार्यान्वयन किया जा सके। डाक विभाग ने डाकघरों के माध्यम से देशभर के 1181 चुनिंदा गांवों के माध्यम से उपभोक्ता कीमतों संबंधी डाटा के संग्रहण, सत्यापन और इसे अपलोड करने की जिम्मेदारी ली है।

फिलैटली

74. फिलैटली डाक-टिकटों तथा अन्य संबंधित वस्तुओं के संग्रहण के शौक के साथ-साथ डाक इतिहास के अध्ययन का भी नाम है। फिलैटली, राष्ट्रीय विरासत तथा संस्कृति के संवर्द्धन और विशेष अवसरों/आयोजनों तथा विशिष्ट व्यक्तित्वों के महत्व को रेखांकित करने और उनकी याद को संजोने का माध्यम है। डाक-टिकट, चिलों के रूप में दूतों की भूमिका निभाते हैं और ये संबंधित राष्ट्र की संप्रभुता का प्रतीक भी होते हैं।

75. डाक-टिकट दो श्रेणियों में विभाजित हैं, नामतः नियत तथा स्मारक डाक-टिकट। नियत श्रृंखला के डाक-टिकट रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए हैं और डाक-वस्तुओं पर डाक-शुल्क के भुगतान के संकेत स्वरूप प्रयोग किए जाते हैं। दूसरी ओर, स्मारक डाक-टिकटों को अधिक आकर्षक रूप से डिजाइन एवं मुद्रित किया जाता है। इनका मुद्रण सीमित मात्रा में किया जाता है और फिलैटलीविदों और डाक-टिकट संग्रहकर्ताओं में इन्हें लेकर काफी उत्साह रहता है। 1 जनवरी, 2018 से 31 दिसम्बर, 2018 तक की अवधि के दौरान, प्रख्यात विभूतियों, विशेष अवसरों/आयोजनों आदि विषय पर कुल 51 निर्गम जारी किए गए/किए जाने हैं।

नवीन प्रकार के डाक-टिकटों का मुद्रण

76. महात्मा गांधी के 150वीं जयंती समारोह के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा 7 गोलाकार स्मारक डाक-टिकटों का सेट जारी किया गया। इसे विदेशों में स्थित भारतीय मिशनो के माध्यम से 100 से अधिक देशों में एक साथ जारी किया गया। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहला अवसर था, जब गोलाकार डाक-टिकट जारी किए गए।

77. भुवनेश्वर में आयोजित विश्व हॉकी कप पर पहली बार अनूठे डिजाइन की मिनीयेचर शीट जारी की गई, जोकि सामान्य रूप से जारी आयताकार तथा वर्गाकार मिनीयेचर शीट से भिन्न है। इसका उद्देश्य, हॉकी के खेल की मूल भावना को रेखांकित करना ही नहीं, बल्कि युवा वर्ग को फिलैटली की ओर आकर्षित करना भी है।

financial services at an affordable cost, the India Post Payments Bank has been set up under Department of Posts with 100% Government of India equity. The project was accorded approval by Cabinet on 01.06.2016 with a direction to roll out all the 650 branches and linking of all the 1.55 lakh Post offices to IPPB's network. The IPPB was incorporated as a Public Limited Company under Company Act, 2013.

70. Two pilot branches of IPPB were launched in Raipur and Ranchi with 6 access points with the support of Punjab National Bank after the final licence was received from RBI on 20.01.2017. Consequently after receiving the approval of expansion of network of IPPB from RBI, the project was formally inaugurated by Hon'ble Prime Minister of India on 01.09.2018 with all the 650 IPPB branches and 3250 access points on IPPB's own technology architecture.

71. The services offered by IPPB includes savings and current accounts, remittances and money transfer, direct benefit transfers, bill and utility payments, enterprise and merchant payments and third party products including investment, loan and insurance as per the Payments Bank Guidelines issued by RBI. IPPB is leveraging the vast network and reach of India Post with a rural India penetration of 1,30,000 access points (Post Offices), which is nearly 2.5 times the number of bank branches in rural India today to reach every household in the country.

72. The project outlay approved by Cabinet is Rs 1435 crores and as per the roll out plan all 1.55 lakh Post offices will be rolled out by 31st December, 2018. As of now 124260 access points have been rolled out and the remaining feasible access points will be rolled out by 31st March, 2019. Approximately 22 lakh accounts have been opened with a balance of Rs. 3812 Lakh. The end users who are certified and are eligible to perform the IPPB transactions are 1.37 lakh.

DATA COLLECTION WORK FOR COMPUTING RURAL CONSUMER PRICE INDEX ON BEHALF OF THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

73. Rural Price Indices have been designed and

are calculated at regular intervals by the Ministry of Statistics and Programme Implementation to estimate inflation and trends in the price movements, so that appropriate and adequate policy interventions may be made and implemented. DoP has taken the responsibility of collection, verification and uploading of consumer prices in 1181 selected villages through Post Offices in the country.

PHILATELY

74. Philately is the hobby of collecting stamps as well as the study of postal history and other philatelic items. It is a mode of commemorating, celebrating and promoting national heritage, culture, events and eminent personalities. Postage Stamps are pictorial ambassadors. They are a statement of the sovereignty of a nation.

75. There are two categories of stamps viz. Definitive and Commemorative Postage Stamps. Definitive postage stamps are meant for day - to - day use as a token of pre-payment of postage on mail articles. On the other hand, Commemorative postage stamps are designed and printed with greater aesthetic inputs, manufactured in limited quantities and generate great interest among philatelists and collectors. A total of 51 issues were released/to be released during the period 1st January, 2018 to 31st December, 2018 commemorating various personalities, events/ occasions.

Printing of Innovative Stamps

76. A set of seven circular Commemorative Postage Stamps was released by the Prime Minister of India to mark the beginning of the 150th Birth Anniversary Celebrations of Mahatma Gandhi. It was simultaneously released in more than 100 countries through Indian Missions abroad. For the first time in the history of independent India, circular stamps were issued.

77. In a first, a uniquely designed Miniature Sheet was issued on Hockey World Cup being held in Bhubaneswar, away from the usual rectangular and square shaped Miniature Sheets. The objective was to not only celebrate the spirit of hockey but also to attract the youth to the fold of Philately.

जनसामान्य से डाक-टिकट डिजाइन हेतु प्रविष्टियां आमंत्रित करना

78. 'लोकोन्मुखी विषयों' पर डाक-टिकट तैयार करने के उद्देश्य से डाक विभाग वर्ष में तीन बार डाक-टिकट डिजाइन प्रतियोगिताएं आयोजित करता है। इस बार दो प्रतियोगिताओं की विषय-वस्तु महात्मा गांधी के 150वें जयंती समारोह से प्रेरित थी। इन प्रतियोगिताओं का विषय सांप्रदायिक सद्भावना तथा अहिंसा निर्धारित किया गया था, जो महात्मा गांधी का मूल-मंत्र था।

दीनदयाल स्पर्श योजना

79. बच्चों में कम उम्र से फिलैटली के शौक को सुनियोजित रूप में बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2017-18 से दीनदयाल स्पर्श (शौक के तौर पर डाक-टिकटों के प्रति अभिरूचि तथा इस क्षेत्र में शोध के प्रचार-प्रसार हेतु छात्रवृत्ति) के नाम से, एक छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष कक्षा VI, VII, VIII और IX के देशभर के 920 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

ढाई आखर पत्र लेखन प्रतियोगिता

80. पत्र लेखन को प्रोत्साहन तथा समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2017-18 से देशभर में ढाई आखर नाम से एक पत्र लेखन प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत, प्रत्येक श्रेणी (कुल 4 श्रेणियां) की सर्वश्रेष्ठ तीन (3) प्रविष्टियों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया जाता है। विगत वर्ष अर्थात् 2017-18 के दौरान इस प्रतियोगिता का विषय "प्रिय बापू, आप मेरे प्रेरणास्रोत हैं" था। इस वर्ष की ढाई आखर पत्र लेखन प्रतियोगिता का विषय "मेरे देश के नाम खत" है। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत कुल 9,06,695 प्रविष्टियां प्राप्त हुई हैं।

अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय एवं सहयोग

81. डाक विभाग के अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय एवं सहयोग से जुड़े मामलों का समन्वय कार्य, अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं वैश्विक व्यवसाय डिवीजन द्वारा किया जाता है। इन कार्यों में विश्व डाक संघ (यूपीयू) के दायरे में आने वाले विभिन्न देशों के नामोद्दिष्ट डाक प्रचालन संगठनों के साथ बहुपक्षीय कार्य-व्यवहार, अन्य नामोद्दिष्ट डाक प्रचालकों से द्विपक्षीय विचार-विमर्श, नामोद्दिष्ट एवं निजी डाक प्रचालकों के साथ व्यावसायिक संबंध एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के माध्यम से राजस्व अर्जन पर केन्द्रित कार्यकलाप शामिल हैं।

विश्व डाक संघ (यूपीयू)

82. भारत, विश्व डाक संघ (यूपीयू) के प्रारंभिक सक्रिय सदस्यों में से एक है। यह संघ, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेंसी है, जिसका मुख्यालय बर्न, स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व डाक संघ, विश्वभर में अन्तर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं का कुशल प्रचालन सुनिश्चित करने के दायित्व का निर्वहन करता है। इसके साथ-साथ यूपीयू का उद्देश्य, डाक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना तथा अपने विभिन्न निकायों एवं बहुपक्षीय समझौतों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय डाक मामलों के समस्त पहलुओं को नियंत्रित करना भी है।

एशिया प्रशांत डाक संघ (एपीपीयू)

83. एशिया प्रशांत डाक संघ (एपीपीयू), विश्व डाक संघ से संबद्ध सीमित सदस्यता वाला संघ है। 32 देश इसके सदस्य हैं। इसका उद्देश्य, क्षेत्र-विशेष में डाक के आदान-प्रदान को सुलभ बनाना तथा सदस्य देशों के बीच डाक सेवाओं के क्षेत्र में सहयोग की भावना को बढ़ाना है। एशिया प्रशांत डाक कॉलेज की वित्त समिति और प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य के रूप में भारतीय डाक, एपीपीयू के मामलों में अग्रणी भूमिका निभाता है।

विश्व डाक संघ तथा एशिया प्रशांत डाक संघ में बहुपक्षीय सहयोग के क्षेत्र में भारत का योगदान

84. विश्व डाक संघ की असाधारण कांग्रेस का आयोजन 3-7 सितंबर 2018 तक आडिस अबाबा में हुआ। इस द्वितीय असाधारण कांग्रेस के आयोजन का उद्देश्य, विश्व डाक संघ की निर्णयकारी प्रक्रियाओं में तेज़ी लाना और वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित करना था। भारत उस 10 सदस्यीय कार्यकारी समूह का हिस्सा था, जिसे यूपीयू में सुधारों की सिफारिशों को अंतिम रूप प्रदान करना था। इस कार्यकारी समूह की अधिकतर सिफारिशों के परिणामस्वरूप हुए संशोधनों को कांग्रेस में स्वीकार कर लिया गया। इस कार्यकारी समूह में भारत की सक्रिय प्रतिभागिता के कारण ही दक्षिण एशिया ओशोनिया क्षेत्र, जिसका भारत हिस्सा है, को इस समूह में दो और सीटें प्रदान की गईं।

85. भारत ने अप्रैल के दौरान हुई डाक प्रचालन परिषद (पीओसी) की एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला कार्यकारी समूह की बैठक की सह-अध्यक्षता की। इस बैठक में भारत ने विश्व डाक नेटवर्क द्वारा प्रदान की जाने वाली वास्तविक सेवाओं से संबंधित प्रचालनगत सुधारों के महत्व को रेखांकित किया। इसके दायरे में मानक, प्रचालन कार्य तथा लेखांकन, सीमा शुल्क, परिवहन व्यवस्था, सुरक्षा, ईडीआई और इलेक्ट्रॉनिक एडवांस डाटा जैसे संबंधित मुद्दों को शामिल किया गया।

Crowd-sourcing of stamp designs

78. The Department has been organizing Stamp Design Competitions thrice a year for designing postage stamps on “people- centric themes”. The 150th Birth Anniversary celebrations of Mahatma Gandhi had a bearing on the themes of two of the competitions, themes that were close to Mahatma Gandhi’s heart i.e. Communal Harmony and Non-violence.

Deen Dayal SPARSH Yojana

79. A philately scholarship scheme called Deen Dayal SPARSH (Scholarship for Promotion of Aptitude & Research in Stamps as a Hobby) Yojana was introduced in 2017-18 to promote Philately among children at a young age in a sustainable manner .Under this scheme, 920 scholarships are awarded throughout the country to students from Classes VI, VII, VIII & IX every year.

Dhai Akhar Letter Writing Competition

80. A nationwide letter writing competition/Dhai Akhar was introduced in 2017-18 to encourage and promote letter writing. Top three entries in each category (total 4 categories) are awarded at the national level. The theme for last year i.e. 2017-18 was “Dear Bapu (Mahatma Gandhi) you inspire me”. This year’s theme for Dhai Akhar Letter Writing campaign is “Letter to my Motherland” .A total number of 9,06,695 entries have been received during this year’s campaign.

INTERNATIONAL BUSINESS AND COOPERATION

81. Matters relating to International Business and Cooperation of the Department of Posts are coordinated by the International Relations and Global Business Division. These include multilateral transactions among designated postal operators of different countries under the ambit of the Universal Postal Union (UPU), bilateral discussions with other designated postal operators, business relations with designated and private postal operators and activities focused on realization of revenue from international business.

Universal Postal Union (UPU)

82. India is one of the earliest active members of the UPU, a specialized agency of the United Nations, having its headquarters at Berne, Switzerland. The Union is responsible for ensuring efficient operation of international postal services throughout the world. The UPU also aims to promote international cooperation in this sphere and regulates the entire gamut of international postal affairs through its various bodies and multilateral agreements.

Asian Pacific Postal Union (APPU)

83. APPU is a Restricted Union which is affiliated to the Universal Postal Union with a membership of 32 countries. It aims to facilitate the postal exchanges in the region and to promote cooperation in postal services of Member countries. Department of Posts plays a leading role in the affairs of the APPU as a member of Finance Committee and Governing Board of the Asia Pacific Postal College.

India’s Contribution in the multi-lateral cooperation in the UPU and APPU

84. The Extraordinary Congress of the UPU was held in Addis Ababa from 3rd – 7th September, 2018. The Second Extraordinary Congress was convened as part of ongoing efforts to reform the UPU, with a view to improving and speeding up decision-making processes within the organization and ensuring its financial sustainability. India was part of a ten member working group to finalize recommendations on UPU Reforms. Most of the amendments arising due the recommendations of the working group were adopted by the Congress. India’s active participation in the working group helped to secure two more seats for the Southern Asia Oceania region, the region to which India is a part of.

85. India co-chaired the meeting of the Integrated Supply Chain Working Group held in April during the Postal Operations Council (POC) meeting and underlined the importance of the operational reforms related to the physical services offered by the global postal network including the issues related to Standards, Operations and Accounting, Customs, Transportation, Security, EDI and Electronic Advance Data.

86. 25-29 जून, 2018 तक दा नांग, वियतनाम में आयोजित एशिया प्रशांत डाक संघ की कार्यकारी समिति की बैठक के दौरान एशिया प्रशांत क्षेत्र डाक संघ के आपूर्ति श्रृंखला के कार्यकारी समूह की बैठक की सह-अध्यक्षता भारत और जापान द्वारा की गई। इस समिति ने वही दायित्व निभाए, जो विश्व डाक संघ के डाक संचालन परिषद की समिति-1 द्वारा निभाए जाते हैं। विश्व डाक संघ की समिति-1, अन्य एजेंसियों तथा भागीदार पक्षों के समन्वय से अंतरराष्ट्रीय डाक आपूर्ति श्रृंखला हेतु प्रचालन, मानक, प्रलेखन तथा डाटा के इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान से सम्बंधित परस्पर संगत विषयों से जुड़े कार्य देखती है।

अन्तर्राष्ट्रीय बैठकों और कार्यशालाओं में भागीदारी

87. भारत, यूपीयू एवं एपीपीयू की महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल रहा है। इन बैठकों में द्वितीय असाधारण कांग्रेस, डाक प्रचालन परिषद/प्रशासन परिषद और यूपीयू के न्यासियों का क्यूएसएफ (सेवा गुणवत्ता निधि) बोर्ड, एपीपीयू की कार्यकारी परिषद की बैठक शामिल थी।

भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाएं/द्विपक्षीय बैठकें

88. भारत ने पारस्परिक सहयोग के क्षेत्रों पर चर्चा करने एवं अपने अनुभवों को साझा करने के उद्देश्य से पोस्ट इंडोनेशिया, ला पोस्टे ग्रुप, आंतरिक मामले मंत्रालय (जापान), जापान पोस्ट, स्विस पोस्ट, दक्षिण अफ्रीका पोस्ट बैंक, संयुक्त राज्य डाक सेवा (यूएसपीएस) के प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

89. कैरिबियाई देशों में इरमा और मारिया समुद्री तूफान के कारण नष्ट हुए डाक नेटवर्क के पुनरुद्धार के लिए भारत ने सेवा गुणवत्ता निधि (क्यूएसएफ) में से 50,000 अमेरिकी डॉलर की राशि दान की।

90 (क). ईरान इस्लामिक गणराज्य के राष्ट्रपति के सरकारी दौरे के दौरान डाक विभाग, भारत गणराज्य सरकार और ईरान इस्लामिक गणराज्य की राष्ट्रीय डाक कंपनी के बीच 17 फरवरी, 2018 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

90 (ख). भारत के माननीय प्रधानमंत्री के जापान दौरे के दौरान संचार मंत्रालय, भारत सरकार और आंतरिक मामले एवं संचार मंत्रालय (एमआईसी), जापान के बीच 29 अक्टूबर, 2018 को टोक्यो, जापान में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

91. 19-23 मार्च, 2018 के दौरान, रफी अहमद किदवई राष्ट्रीय डाक अकादमी, गाजियाबाद में डाक क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं पर भूटान डाक के 20

वरिष्ठ पोस्टमास्टर्स के लिए पहली बार देश-विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय मेल सेवा

92. जापान के साथ कूल ईएमएस सेवा – डाक विभाग ने 29 मार्च, 2018 से जापान के सहयोग से कूल ईएमएस नामक एक अनूठी सेवा की शुरुआत की है। इस सेवा के अंतर्गत, भारतीय विनियमों के तहत अनुमेय जापानी खाद्य सामग्री डाक के माध्यम से कूल बक्सों में जापान से भारत (माल आवक) भेजी जाती है। वर्तमान में यह सेवा केवल दिल्ली में उपलब्ध है।

मानव संसाधन विकास

93. सेवा प्रदाता संगठन होने के नाते डाक विभाग को ऐसे कार्मिकों की आवश्यकता है, जो समग्र जानकारी रखते हों और ग्राहकों के प्रति संवेदनशील हों। सूचना प्रौद्योगिकी के बदलते परिवेश में सेवाओं की सुपुर्दगी के लिए कंप्यूटर का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। अतः, इसे ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक, प्रचालनात्मक एवं वित्त कार्मिकों के लिए सुकेंद्रित एवं सुनियोजित प्रशिक्षण तथा विकास कार्यक्रमों की आवश्यकता है। विभाग ने भारत सरकार की राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति, 2012 के अनुरूप डाक प्रशिक्षण नीति, 2012 बनाई है। डाक प्रशिक्षण नीति का प्रमुख उद्देश्य स्टाफ के सभी संवर्गों/श्रेणियों के लिए शुरुआती स्तर पर 'सभी के लिए प्रशिक्षण' और विशिष्ट अंतराल पर तीन सेवाकालीन प्रशिक्षण (मिड-कैरियर प्रशिक्षण) कार्यक्रम आयोजित करना है। विभाग का प्रशिक्षण संबंधी सुनियोजित इंफ्रास्ट्रक्चर है। डाक विभाग की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताएं निम्नलिखित प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से पूरी की जाती हैं :-

रफी अहमद किदवई राष्ट्रीय डाक अकादमी (आरएकेएनपीए), गाजियाबाद

94. रफी अहमद किदवई राष्ट्रीय डाक अकादमी (आरएकेएनपीए), डाक विभाग का सर्वोच्च प्रशिक्षण संस्थान है, जो भारतीय डाक के उच्च प्रबंधकीय संवर्गों के कार्मिकों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह अकादमी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य, भारतीय डाक सेवा के अधिकारियों, डाक सेवा समूह 'ख' के अधिकारियों तथा विभाग में कार्यरत समस्त लेखा अधिकारियों को प्रारंभिक एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करना है। यह अकादमी, भारतीय डाक सेवा के अधिकारियों के लिए 'कार्यकारी विकास कार्यक्रम' (ईडीपी), 'प्रबंधन विकास कार्यक्रम' (एमडीपी) और 'उच्च स्तरीय विकास कार्यक्रम' (एडीपी) भी संचालित करती है। इस अकादमी द्वारा विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (आईटीईसी)/एससीएएपी के लिए आबंटित निधियों के

86. The Meeting of the Supply Chain Integration Working Group of the Asian Pacific Postal Union (APPU) was co-chaired by India and Japan during the APPU-EC meeting held in Da Nang, Vietnam from 25th-29th June, 2018. This committee mirrored the work of Committee 1 of the POC of the Universal Postal Union which deals with the cross cutting issues in operations, standards, documentation and electronic exchange of data for the international postal supply chain in coordination with other agencies and stakeholders.

Participation in International Meetings and Workshops

87. India was represented at the important meetings of the UPU and APPU viz. 2nd Extra Ordinary Congress and Postal Operations Council/Council of Administration and QSF Board of Trustees of the UPU; APPU Executive Council meeting.

International Workshops/ Bilateral Meetings Hosted In India

88. India hosted the delegations from Pos Indonesia, La Poste Groupe, Ministry of Internal Affairs (Japan), Japan Post, Swiss Post, South Africa Post Bank, United States Postal Service (USPS) for discussions on areas of mutual co-operation and sharing of experiences.

International Co-operation

89. India donated an amount of USD 50,000 out of its Quality of Service Fund (QSF) to the Caribbean Countries for restoration of their postal network which were adversely affected due to the Hurricanes Irma and Maria.

90 (a) A Memorandum of Understanding was signed between the Department of Posts, Government of Republic of India and National Post Company of the Government of Islamic Republic of Iran on 17th February, 2018 during the official visit of the President of Islamic Republic of Iran.

90 (b) A Memorandum of Co-operation was signed between Ministry of Communications, Government of India and Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC), Japan on 29th October, 2018 in Tokyo, Japan during the visit of Hon'ble Prime Minister of India to Japan.

91. A country specific training program was conducted for the first time for 20 senior postmasters of Bhutan Post on various aspects of Postal sector in

RAKNPA, Ghaziabad from 19th – 23rd March, 2018.

International Mail Services

92. Cool EMS Services with Japan – Department of Posts introduced a unique service namely Cool EMS Service in collaboration with Japan Post from 29th March 2018. Under this service, the Japanese food items permissible under Indian regulations are transported in cool boxes from Japan to India (one way only) through postal channel. Currently this service is available in Delhi only.

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

93. Department of Posts being a service delivery organization needs a workforce that is well informed and responsive to customers' needs. In the changing scenario of IT enablement, computer literacy is essential for service delivery. Thus, there is a need to have focused and well planned training and development programmes aimed at change acceptance by administrative, operative and finance personnel. Department has framed Postal Training Policy, 2012 in conformity with the National Training Policy, 2012 of Government of India. The key objective of Postal Training Policy is "Training for All" at the entry level and three Mid-Career Training Programmes at specific intervals for all cadres/categories of staff. The Department has well established training infrastructure. The following training institutes take care of training needs of the Department of Posts.

Rafi Ahmed Kidwai National Postal Academy (RAKNPA) at Ghaziabad

94. Rafi Ahmed Kidwai National Postal Academy (RAKNPA) is the apex training institute of the Department for meeting training needs of higher managerial cadres of India Post. It is one of the Central Training Institutes recognized by the DoP&T. The main objective of the Academy is to impart induction and in-service trainings to the officers of Indian Postal Service, Postal Service Group 'B' Officers and all Accounts Line Officers working in the Department. The Academy conducts 'Executive Development Program' (EDP), 'Management Development Program' (MDP) and 'Advanced Development Program' (ADP) for the Officers of Indian Postal Service. The Academy also organizes International Programmes on behalf of the Ministry of External Affairs, Government of India under its Indian Technical & Economic Corporation (ITEC) / Special Commonwealth Assistance for Africa Program

अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

95. दरभंगा, गुवाहाटी, मदुरै, मैसूर, सहारनपुर और वडोदरा स्थित डाक प्रशिक्षण केंद्र (पीटीसी) तथा नासिक स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, सहायक निरीक्षक (डाक)/निरीक्षक (डाक) और समूह 'ग' संवर्ग के कर्मिकों के लिए अनिवार्य प्रारंभिक एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, ये केंद्र अन्य विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित करते हैं। विभाग के प्रचालन स्टाफ की प्रशिक्षण संबंधी अधिकतर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी 6 प्रशिक्षण केंद्रों में सुसज्जित कंप्यूटर लैब, कक्षाएं तथा आवासीय सुविधा उपलब्ध है।

सर्कलों/क्षेत्रों/डिवीजनों/प्रधान डाकघरों के मुख्यालयों में स्थित कार्यस्थलीय प्रशिक्षण केंद्र (452 डब्ल्यूटीसी)

96. डब्ल्यूटीसी की स्थापना का उद्देश्य, डाक विभाग के कर्मिकों को उनके कार्यस्थल के निकट, विविध क्षेत्रों जैसे विभागीय सॉफ्टवेयर/आईटी आधुनिकीकरण परियोजना संबंधी प्रशिक्षण, मार्केटिंग, मेल, लेखा आदि में अल्पकालिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। इन कर्मिकों में समूह 'ग' के कर्मचारी, पोस्टमैन, एमटीएस तथा जीडीएस संवर्ग कर्मी शामिल हैं, जोकि विभाग के कार्यबल का एक बड़ा भाग हैं और डब्ल्यूटीसी, स्टाफ की इन्हीं श्रेणियों के लिए प्रशिक्षण केंद्र की भूमिका निभाते हैं।

सतर्कता प्रशासन

97. डाक विभाग के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में सतर्कता का एक सुनियोजित तंत्र स्थापित है। इसकी अध्यक्षता सचिव (डाक) करते हैं। सचिव (डाक) की सहायता के लिए विभाग के वरिष्ठ उप महानिदेशक (सतर्कता) हैं, जो विभाग के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) की भूमिका भी निभाते हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी, सतर्कता संबंधी सभी मामलों में सचिव के विशेष सहायक के रूप में कार्य करते हैं तथा डाक विभाग और मुख्य सतर्कता आयोग (सीवीसी) के बीच परस्पर संपर्क सूत्र का कार्य करते हैं। लोक प्रशासन से संबंधित मामलों में पारदर्शिता, ईमानदारी और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, विभाग ने दंडात्मक, निवारक और सहभागी सतर्कता उपायों सहित भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बहु-आयामी कार्यनीति अपनाई है।

98. सर्कल, क्षेत्रीय और डिवीजनल स्तरों पर सतर्कता संबंधी कार्य इन तीनों इकाइयों के प्रमुखों अर्थात् क्रमशः मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, पोस्टमास्टर जनरल और डिवीजनल प्रमुख द्वारा किए जाते हैं। ये कार्य, फील्ड स्तर पर स्थापित केन्द्रीय सतर्कता यूनिट के रूप में अपने समस्त कार्यों और

उत्तरदायित्वों के भाग के रूप में किए जाते हैं।

99. निवारक सतर्कता उपायों के भाग के रूप में, मुख्य सतर्कता अधिकारी संवेदनशील स्थलों का नियमित और औचक निरीक्षण करवाते हैं। इनका उद्देश्य, भ्रष्टाचार अथवा कदाचार की गुंजाइश वाली प्रक्रियाओं की समीक्षा करना और उन्हें सुचारू बनाना है। साथ ही, इन निरीक्षणों के दौरान, विभाग तथा इसके फील्ड कार्यालयों में भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों वाले मामले के निवारण और इनके खुलासे के लिए समुचित उपाय भी किए जाते हैं।

100. विभाग में 29 अक्टूबर, 2018 से 03 नवम्बर, 2018 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2018 मनाया गया। इस दौरान, केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशानुसार विभिन्न संपर्क कार्यक्रमों सहित विविध प्रकार के कार्यक्रमों आयोजित किए गए। इस वर्ष के सतर्कता जागरूकता सप्ताह का केंद्रीय विषय “भ्रष्टाचार उन्मूलन-नव भारत का निर्माण” निर्धारित किया गया और इस जागरूकता सप्ताह के दौरान आयोजित समस्त कार्यक्रमों इसी विषय पर आधारित थे। प्रयास किया गया कि डाक सर्कलों के माध्यम से बड़ी संख्या में संपर्क कार्यक्रमों आयोजित किए जाएं ताकि देश के कोने-कोने में लोगों को सतर्कता संबंधी विषयों के संबंध में जागरूक किया जा सके। सतर्कता सप्ताह संबंधी इन कार्यक्रमों में आमजन तथा विभागीय कर्मिकों की सक्रिय भागीदारी रही।

धनशोधन रोधी (एएमएल)/वित्तपोषण विरोधी (सीएफटी) अनुपालन संरचना:-

101. धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002, 1 जुलाई, 2005 से लागू हुआ है। इस अधिनियम में धनशोधन को "अपराधजन्य धन को छिपाने, रखने, लेने अथवा इसका उपयोग करने तथा इसको बेदाग संपत्ति होने का दावा करने सहित इससे संबंधित कोई भी प्रक्रिया अथवा कार्यकलाप के रूप में परिभाषित किया गया है। इस अधिनियम में धनशोधन निवारण संशोधन अधिनियम, 2009, के द्वारा 1 जून, 2009 से संशोधन किया गया। डाक विभाग को इस संशोधन के साथ इस अधिनियम के दायरे में लाया गया, जिसमें भारत सरकार में डाक विभाग को धारा 2(1)(1) के अंतर्गत "वित्तीय संस्था" के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

पीएमएलए के अंतर्गत संगठनात्मक ढांचा

102. निदेशालय स्तर पर, उप महानिदेशक (डीडीजी पीसीओ/पीएमएलए), डाक विभाग के प्रधान अनुपालन अधिकारी हैं और वे

(SCAAP) funding.

95. Postal Training Centers located at Darbhanga, Guwahati, Madurai, Mysore, Saharanpur, Vadodara and Regional Training Centre at Nashik conduct mandatory Induction and mid-career training programmes for Assistant Superintendent of Posts/Inspector of Posts & Group 'C' cadres. Besides, they also organize other specialized training programmes. These six training centres have well equipped computer labs, class-rooms and hostel facilities to take care of the bulk of the training needs of operative staff of the Department.

96. Workplace Training Centres (452 WTCs) located at Headquarters of Circles /Regions/Divisions/Head post Office: The objective of setting up of the WTCs is to impart short term training to the officials nearer to their place of work in diverse areas like departmental software, /I.T. Modernization Project related trainings, Marketing, Mails, Accounts etc for Group 'C', Postmen, MTS and GDS cadres, whereas they form a big part of workforce,. Therefore, the WTCs serve the purpose of training centres for these categories of staff.

VIGILANCE ADMINISTRATION

97. The Department of Posts has in place a full-fledged vigilance set-up at its Headquarters at New Delhi, headed by the Secretary (Posts) and assisted by the Senior Deputy Director General (Vigilance) who is the Chief Vigilance Officer (CVO) of the Department. The CVO acts as the Special Assistant to the Secretary in all matters pertaining to vigilance and provides a link between the Department of Posts and the Central Vigilance Commission (CVC). To ensure transparency, fair play and objectivity in matters related to public administration, Department has adopted a multi-pronged strategy to tackle corruption, comprising punitive, preventive and participative vigilance measures.

98. At the Circle, Regional and Divisional levels, vigilance related functions are discharged by the Heads of three units, viz. Chief Postmaster General, Postmaster General and Divisional Heads respectively, as part of their overall duties and responsibilities as an extended arm of Central

Vigilance set up at field level.

99. As part of preventive vigilance, the CVO arranges regular and surprise inspections of sensitive spots, reviews and streamlines procedures, which appear to afford scope for corruption or misconduct, initiates measures for prevention, detection of corruption and malpractices in the Department and its field offices.

100. Vigilance Awareness Week, 2018 was observed by the Department from 29th October, 2018 to 3rd November, 2018 by organizing various activities including outreach programmes as envisaged by the Central Vigilance Commission. This year's theme for Vigilance Awareness Week "Eradicate Corruption-Build a New India" was highlighted in all programmes which was organized during the week. The endeavor was to undertake a large number of outreach activities through the postal circles to disseminate the awareness around the nook and corners of country. Active participation was observed by citizens and departmental officials during the week this year.

ANTI MONEY LAUNDERING (AML) /COMBATING FINANCING OF TERRORISM (CFT) COMPLIANCE STRUCTURE

101. The Prevention of Money Laundering Act(PMLA), 2002 came into force w.e.f. 1st July, 2005. The Act defines money laundering as "any process or activity connected with proceeds of crimes including its concealment, possession, acquisition or use and projecting of claiming it as untainted property." The Act was amended by the prevention of Money Laundering Amendment Act, 2009 w.e.f. 1st June, 2009. Department of Posts was brought into the ambit of this Act with this amendment wherein Section 2(1)(1) listed Department of Posts in the Government of India as a "financial institution."

Organisational setup under PMLA

102. At the Directorate level, Deputy Director General (DDG PCO/PMLA) is the Principal

विभाग में सभी अनुपालन संबंधी कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। सदस्य (बैंकिंग) को डाक विभाग का "नामित निदेशक" नियुक्त किया गया है। सर्कल स्तर पर 23 नोडल अधिकारी हैं, जो सर्कल अनुपालन अधिकारी भी हैं।

103. पीएमएलए के अंतर्गत मॉनीटरिंग तंत्र

- (i) डाक विभाग ने विस्तृत दिशा-निर्देशों के साथ लघु बचत योजनाओं के लिए धनशोधन-रोधी/आतंकवाद वित्तपोषण विरोधी (एएमएल/सीएफटी) मानदंडों के अनुपालन के लिए एक मास्टर परिपत्र परिचालित किया है।
- (ii) सर्कल स्तर पर अनुपालन अधिकारी नकदी लेन-देन रिपोर्ट (सीटीआर), संदिग्ध लेन-देन रिपोर्ट (एसटीआर) और जाली मुद्रा रिपोर्ट (सीसीआर) उच्चतर स्तर के अधिकारियों को देने के लिए सृजित किए गए डाटा की पुष्टि करने के लिए उत्तरदायी हैं और साथ ही वे धनशोधन रोधी (एएमएल), अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) और एएमएल निरीक्षण से संबंधित प्रशिक्षण कार्यों के लिए भी उत्तरदायी हैं।
- (iii) स्टॉफ द्वारा एएमएल/सीएफटी की प्रभावी मॉनीटरिंग के लिए वर्ष 2018 में (दिसम्बर, 2018 तक) 47167 कर्मचारियों को एएमएल/सीएफटी के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया है।
- (iv) वर्ष 2018 में, समूचे देश में एएमएल के अनुपालन के संदर्भ में 13136 डाकघरों का निरीक्षण किया गया है।

जनशिकायत तथा सूचना का अधिकार

104. विभाग में अपनी सेवाओं की बाबत लोक शिकायतों के निपटान के लिए सुव्यवस्थित प्रक्रिया है। गुणवत्ताप्रद सेवा सुनिश्चित करने तथा लोक शिकायतों का शीघ्र निपटान करने के लिए एक मॉनीटरिंग तंत्र मौजूद है। ग्राहकों को अपनी शिकायत दर्ज कराने हेतु सीपीजीआरएएमएस, भारतीय डाक सेवा केंद्र (आईपीसीसी), सोशल मीडिया सेल, कंप्यूटरीकृत ग्राहक सेवा केंद्रों, ई-मेल जैसी विभिन्न माध्यम उपलब्ध हैं। उनका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

केन्द्रीयकृत जन शिकायत निवारण तथा मॉनीटरिंग तंत्र (सीपीजीआरएएमएस)

105. डाक विभाग, केन्द्रीयकृत जन शिकायत निवारण तथा मॉनीटरिंग तंत्र (सीपीजीआरएएमएस) में डाक सेवाओं के ग्राहकों द्वारा पंजीकृत शिकायतों की प्रोसेसिंग करता है जिसमें, डीएआर एवं पीजी, जनशिकायत विभाग (डीपीजी), इस प्रणाली में राष्ट्रपति सचिवालय तथा प्रधानमंत्री

कार्यालय से प्राप्त शिकायतें तथा www.pgportal.gov.in पर दर्ज शिकायतें शामिल हैं। डाक सर्कल अधीनस्थ संगठनों के रूप में गठित किए गए हैं तथा कई सर्कलों में शिकायतों की ऑनलाइन हैंडलिंग हेतु प्रयोक्ताओं के लिए क्षेत्तों तथा डिवीजनों का भी गठन किया गया है। जनवरी 2018 से दिसम्बर 2018 तक हैंडिल की गई शिकायतों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

तालिका 9

वर्ष	01.01.2018 की स्थिति के अनुसार-अथशेष	प्राप्त शिकायतें	निपटाई गई शिकायतें	शिकायतों के निपटान का %
01.01.2018 से 31.12.2018 तक	3268	41,428	42,174	94.35

सोशल मीडिया प्रकोष्ठ

106. सोशल मीडिया प्रकोष्ठ डाक विभाग का ट्विटर एवं फेसबुक एकाउंट को देखने वाला एक स्वतंत्र निकाय है। सोशल मीडिया की शिकायतें समयबद्ध होती हैं और इनका उत्तर 24 घंटे के भीतर दे दिया जाता है। सोशल मीडिया प्रकोष्ठ दैनिक आधार पर सभी सर्कलों को भेजी गई शिकायतों को मॉनीटर करता है। जनवरी 2018 से दिसम्बर 2018 तक हैंडिल की गई शिकायतों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

तालिका 10

वर्ष	प्राप्त शिकायतें	निपटाई गई शिकायतें	शिकायतों के निपटान का %
01.01.2018 से 31.12.2018 तक	83,304	83,302	99.99

भारतीय डाक कॉल सेंटर (आईपीसीसी)

107. भारतीय डाक ने दिनांक 01.06.2018 को वाराणसी में इंटरैक्टिव वॉयस रिसपांस सिस्टम (आईवीआरएस) के साथ भारतीय डाक कॉल सेंटर (आईपीसीसी) का रॉल आउट किया है, जिसका टॉल फ्री नम्बर-1800 266 6868 है। इंटरैक्टिव वॉयस रिसपांस सिस्टम (आईवीआरएस) वर्षभर सप्ताह के चौबीस घंटे (24*7*365) कार्य करता है। तथापि, इस कॉल सेंटर की एजेंट आधारित सेवा के लिए कार्य के घंटे सुबह 9 बजे से सांय 6 बजे तक है। यह कॉल सेंटर सप्ताह में 6 दिन (रविवार तथा राजपलित अवकाशों को छोड़कर) कार्य करता है। कॉल सेंटर द्वारा निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जाती हैं:-

Compliance Officer of the Department of Posts and is responsible for implementing all compliance related activities within the Department of Posts. Member(Banking) has been appointed “Designated Director” for the Department of Posts. At Circle level, there are 23 Nodal Officers who are circle Compliance Officers.

103. Monitoring Mechanism under PMLA

i) The Department of Posts has circulated a master circular for compliance of Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) norms for the Small Saving Schemes with exhaustive guidelines.

ii) Compliance Officers at the Circle level are responsible for verifying the data generated for Cash Transaction Report(CTR), Suspicious Transaction Report (STR) and Counterfeit Currency Report (CCR) to the next higher level and also for looking after the training of Anti Money Laundering (AML), Know your Customer(KYC) and AML inspection for the circle.

iii) For effective AML/CFT monitoring by staff, 47,167 officials have been imparted training on AML/CFT for the year 2018 (upto December, 2018).

iv) In 2018, 13136 post offices have been inspected with reference to AML Compliance across the country.

PUBLIC GRIEVANCE AND RIGHT TO INFORMATION

104. The Department has a well laid out procedure for handling public grievances for its services. A monitoring mechanism to ensure the quality of services and prompt redressal of public grievances is in place. There are various channels available to the customers to lodge their grievances like CPGRAMS, India Post Call Centre (IPCC), Social Media Cell, Computerized Customer Care Centres, e-mails etc. The details of these are as under:-

CPGRAMS

105. Department of Posts is processing complaints registered by consumers of postal

services in the Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System (CPGRAMS) of PG Portal which includes complaints received in DAR&PG, Department of Public Grievances (DPG), President’s Secretariat and Prime Minister’s Office in the system and accessible at the website www.pgportal.gov.in. Postal Circles have been created as subordinate organizations and in many Circles, the Regions and Divisions have also been created as users for online handling of grievances. The details of the complaints handled from January 2018 till December 2018 is as under:-

Table 9

Year	Opening Balance as on 01.01.2018	Complaints Received	Complaints Settled	% of complaints settlement
01.01.2018 to 31.12.2018	3268	41,428	42,174	94.35

Social Media Cell

106. Social Media Cell is an independent entity and deals with the Twitter and Face book accounts of the Department of Posts. The social media complaints are time bound and are replied within 24 hours. The social media cell monitors the complaints sent to all the Circles on daily basis. The details of the complaints handled from January 2018 till December 2018 is as under:-

Table 10

Year	Complaints Received	Complaints Settled	% of complaints settlement
01.01.2018 to 31.12.2018	83,304	83,302	99.99

India Post Call Centre (IPCC)

107. Department of Posts has rolled out India Post Call Centre (IPCC) with Interactive Voice Response System (IVRS) at Varanasi on 01.06.2018 with toll free number 1800 266 6868. Interactive Voice Response System (IVRS) functions 24*7*365. However, the working hours for Agents based service of the Call Centre are from 9 am to 6 pm. The Call Centre functions 6 days a week (excluding Sundays and Gazetted holidays). The two services offered by the Call Centre are:-

- (i) पूछताछ।
- (ii) शिकायतों का पंजीकरण तथा समाधान।

108. आईपीसीसी की स्थापना के समय से अब तक हैंडिल की गई शिकायतों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

तालिका 11

अवधि	आईवीआरएस में प्राप्त कुल कॉल	पंजीकृत शिकायतें	निपटाई गई शिकायतें	निपटाई गई शिकायतों का %
01.06.2018 से 31.12.2018 तक	16,64,802	30,792	29,545	96

तालिका 12

2017-18 में हैंडिल की गई तथा निपटाई गई समग्र शिकायतें तथा निपटान का प्रतिशत (%)

प्राप्त	निपटान	प्रतिशत (%)
24,48,208	23,43,540	95.72

नागरिक घोषणा पत्र

109. अद्यतन नागरिक घोषणा पत्र, जिसमें तीनों घटक यथा सेवामानक, शिकायत निवारणतंत्र तथा सेवा देने की क्षमता शामिल है, को तैयार किया गया और इसे जुलाई, 2011 के दौरान www.indiapost.gov.in पर सर्वसाधारण के लिए उपलब्ध करवाया गया। दिसम्बर 2017 में एक संशोधित नागरिक घोषणा पत्र जारी किया गया जो भारतीय डाक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

विभाग की मोबाइल ऐप (पोस्टइन्फो) की अद्यतन विशेषताएं

110. विभाग ने दिनांक 11.05.2015 को 'पोस्टइन्फो' के नाम से मोबाइल ऐप की शुरुआत की, जिसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है। ग्राहकों द्वारा कंप्यूटरीकृत ग्राहक सेवा केंद्रों पर ऑनलाइन दर्ज शिकायतों की ट्रैकिंग की सुविधा भारतीय डाक की पोस्टइन्फो ऐप में दिसम्बर, 2017 से शुरू की गई। इसका उद्देश्य शिकायतकर्ताओं के उनके मोबाइल फोन पर उनकी शिकायतों की ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करना है। यह ऐप 1.9 मिलियन से अधिक नागरिकों द्वारा डाउनलोड किया गया है।

डाइनैमिक क्यू प्रबंधन प्रणाली (डीक्यूएमएस)

111. दिल्ली सर्कल (लोधी रोड प्रधान डाकघर) में डाइनैमिक क्यू प्रबंधन प्रणाली (डीक्यूएमएस) पर पायलट प्रोजेक्ट का कार्य पूरा किया गया।

वर्ष 2018-19 के दौरान 248 प्रधान डाकघरों में डीक्यूएमएस के कार्यान्वयन के लिए सभी सर्कलों को 4.96 करोड़ रु. का बजट आबंटित किया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

112. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपी एवं टी) द्वारा ऑनलाइन आरटीआई आवेदनों/अपीलों के निपटान के लिए आरटीआई ऑनलाइन वेब-पोर्टल तैयार किया गया। डाक विभाग क्षेत्रीय स्तर के कार्यालयों में इस पोर्टल को अपनाने वाला प्रथम केन्द्रीय लोक प्राधिकरण है। 31 अक्टूबर, 2018 तक, समूचे देश में 1252 सीपीआईओ तथा 175 एफएए के ऑनलाइन खाते खोले गए हैं। जो ऑनलाइन आवेदनों तथा अपीलों का निपटान कर रहे हैं। 01.01.2018 से 30.11.2018 तक विभाग द्वारा कुल 124470 आरटीआई आवेदन (ऑनलाइन तथा भौतिक) तथा 8645 प्रथम अपील (ऑनलाइन तथा भौतिक) को हैंडिल किया गया।

महिलाओं से संबंधित मुद्दे

113. विभाग लैंगिक समानता तथा न्याय के सामाजिक उद्देश्यों के प्रति कटिबद्ध है ताकि विभाग में निर्णय लेने के उच्चतम स्तर पर महिलाओं की समान सहभागिता सुनिश्चित किया जा सके।

114. प्रत्येक प्रशिक्षण मॉड्यूल में लैंगिक संवेदनशीलता मॉड्यूल को शामिल किया गया है ताकि कार्यस्थल पर पुरुषों तथा महिलाओं में, समानता तथा लैंगिक संवेदनशीलता की दिशा में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना जागृत की जा सके।

115. शिशु सदन की सुविधा तथा सिलाई केन्द्रों जैसी सहयोगी सेवाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के अलावा विभागीय आवासीय क्वार्टरों का आबंटन करते समय महिला कर्मचारियों को वरीयता दी जाती है तथा विशिष्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के जरिए महिला कर्मचारियों के हितों के लिए अनन्य रूप से विभिन्न कल्याणकारी उपाय शुरू किए गए हैं।

116. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के मामलों की जांच करने के लिए डाक निदेशालय में उप महानिदेशक (स्थापना) की अध्यक्षता में तीन अन्य सदस्यों के साथ एक समिति गठित की गई है तथा फील्ड संगठनों में भी इसी तरह की व्यवस्था उपलब्ध है।

117. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पत्र सं. 15/04/2018-जेडर बजटिंग दिनांक 23 अगस्त, 2018 में विहित दिशा-निर्देशों के

- (i) Inquiry.
- (ii) Complaints registration and resolution.

108. Details of the complaints handled in IPCC from its inception are as under:-

Table 11

Period	Total Calls Received in IVRS	Complaints registered	Complaints settled	% of complaints settlement
01.06.2018 to 31.12.2018	16,64,802	30,792	29,545	96

Overall complaints handled and settled and % settlement in 2017-18

Table 12

Received	Settled	% settlement
24,48,208	23,43,540	95.72

Citizens’ Charter

109. An updated Citizens’ Charter containing all three components viz. service standards, grievances redressal mechanism and service delivery capabilities was formulated and placed in public domain on www.indiapost.gov.in during July 2011. A revised Citizens’ Charter has been issued in December 2017 and hosted at India Post website.

Updated features in Mobile App (Postinfo) of the Department -

110. Mobile App of the Department named ‘Postinfo’ was launched on 11.05.2015, which is updated from time to time. The feature of tracking of complaints registered by the customers online on Computerized Customer Care Centres was introduced in the Postinfo App of India Post in December 2017. This aimed at facilitating the complainants to track their complaints on their mobile phones. This app has been downloaded by more than 1.9 million citizens.

Dynamic Queue Management System (DQMS)

111. The pilot project on Dynamic Queue Management System (DQMS) was carried out in Delhi Circle (Lodhi Road Head Post Office). A total

budget of Rs. 4.96 crore has been allotted to all the Circles for implementation of DQMS in 248 Head Post Offices during 2018-19.

Implementation of Right to Information Act 2005

112. RTI on-line web portal was developed by the Department of Personnel & Training (DOP&T) for disposal of online RTI applications/appeals. Department of Posts is the first Central Public Authority to take this portal to field offices level. Till October 31st 2018, on-line account of 1252 CPIOs and 175 FAAs have been created all over the country who are disposing the RTI applications and appeals online. From 01.01.2018 to 30.11.2018, a total of 124470 RTI applications (online and physical) and 8645 First Appeals (online and physical) were handled by the Department.

GENDER RELATED ISSUES

113. The Department of Posts is committed to the social objectives of gender equality and justice by ensuring equal participation of women at the highest levels of decision making in the Department.

114. Gender sensitization module has been incorporated in every training module to inculcate the element of social responsibility in men and women towards creating an equitable, enabling and gender sensitized work place.

115. Besides providing financial assistance to support services like creche facility and tailoring centres, preferential treatment is given to women employees while allotting departmental residential quarters and various welfare measures introduced exclusively for benefits of women employees by implementation of specific programmes.

116. To look into the matter of prevention of sexual harassment of women in work place, a committee under the Deputy Director General (Establishment) with three other members has been set up in the Directorate and a similar setup is available in the field organizations.

117. Department of Posts has re-constituted Gender Budget Cell as Gender and Child Budget Cell as per guidelines contained in Ministry of Women & Child Development letter No. 15/4/2018-

अनुसार, डाक विभाग ने जेंडर एवं चाइल्ड बजट प्रकोष्ठ के रूप में जेंडर बजट प्रकोष्ठ का पुनर्गठन किया है। महिला तथा बच्चे भारत की कुल जनसंख्या का 70% है। अतएव जेंडर बजटिंग के जरिए महिला तथा बच्चों से संबंधित मामलों को प्राथमिकता देना आवश्यक है। इस उद्देश्य हेतु विभाग ने बजट प्राक्कलन 2018-19 में 1.00 करोड़ रु. का प्रावधान किया है। विभाग ने शिशुसदन/भोजन कक्ष की स्थापना करने तथा सर्कलों में कार्यालयों/डाकघरों में प्रसाधन की सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई है ताकि "स्वच्छ भारत" मिशन का उद्देश्य पूरा हो सके तथा बच्चों के हितार्थ पीएलआई/आरपीएलआई उत्पादों के लिए स्कीम और बालिकाओं के हितार्थ "सुकन्या समृद्धि योजना" का शुभारंभ किया है।

118. आज की तारीख में समूचे देश के सर्कलों में लगभग 1000 शौचालयों का निर्माण कराया गया है। इन शौचालयों में से लगभग 437 शौचालय विशेष रूप से महिला कर्मचारियों के लिए बनाए गए हैं।

दिव्यांगजन कर्मचारियों के लिए सुविधाएं

119. डाक विभाग की छात्रवृत्ति तथा अन्य शैक्षिक योजनाओं के तहत उपलब्ध निधियों में से, नियमित विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध छात्रवृत्ति के अनुदान के अलावा 3% छात्रवृत्तियां डाक कर्मचारियों के शारीरिक रूप से दिव्यांग/मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए निर्धारित की गई है। 1 से 12वीं तक अध्ययन कर रहे डाक कर्मचारियों के शारीरिक/मानसिक रूप से दिव्यांग/ दृष्टिबाधित/मूक/बधिर बच्चों को परिवहन प्रभार तथा हॉस्टल/मेस सहायता (परिवहन प्रभारों के बदले) प्रदान की जाती है।

120. एक दिव्यांगजन कर्मचारी यन्त्रीकृत तिपहिया साइकिल की खरीद हेतु 2000 रु. तक खर्च की गई राशि, और मोटरचालित तिपहिया साइकिल की खरीद हेतु 15000 रु. अथवा लागत का 50% जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति कल्याण निधि से प्राप्त करने का हकदार है।

कल्याण तथा खेल-कूद कार्यकलाप

121. विभाग के कल्याण संबंधी कार्यकलापों को डाक सेवा कर्मचारी कल्याण बोर्ड के जरिए बढ़ावा दिया जाता है। बोर्ड विभाग के कर्मचारियों के लिए कल्याण, खेल-कूद तथा सांस्कृतिक कार्यकलापों का आयोजन करता है। यह बोर्ड इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत की संचित निधि से सहायता प्राप्त करता है। क्षेत्रीय इकाइयों के जरिए स्टाफ से स्वैच्छिक अंशदान की भी व्यवस्था की जाती है। विभाग की कल्याणकारी उपायों को कार्यान्वित करने के

लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत सर्कलों को निधियां आबंटित की जाती हैं। कल्याण बोर्ड की निधियों का उपयोग बीमारी, मृत्यु, प्राकृतिक आपदाएं, शैक्षणिक छात्रवृत्ति, देशाटन हेतु आर्थिक सहायता, दिव्यांग कर्मचारी तथा उनके बच्चों की सहायता हेतु अनुदान, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों, शिशुसदनों, खेल-कूद कार्यकलापों, मनोरंजन क्लबों इत्यादि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। डाक विभाग फील्ड सेवा (डाक) कल्याण निधि का संचालन करता है, जिसकी शुरुआत विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लाभार्थ कल्याणकारी उपायों के रूप में की गई है, जो सेना डाक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान, कल्याण संबंधी कार्यकलापों के कार्यान्वयन हेतु सर्कलों को 1.67 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई तथा 1 अप्रैल, 2018 से 31 दिसम्बर, 2018 के दौरान, कल्याण संबंधी कार्यकलापों के कार्यान्वयन हेतु सर्कलों को 1.85 करोड़ रु. का आबंटन किया गया।

122. ग्रामीण डाक सेवकों का मनोबल बढ़ाने तथा उनके अभिप्रेरण के स्तर को बनाए रखने के लिए, डाक विभाग ने 1 अक्टूबर, 2013 से एक सर्कल कल्याण निधि की शुरुआत की है। वर्ष 2017-18 के दौरान सर्कल कल्याण निधि के तहत सर्कलों को 2.53 करोड़ रुपए आबंटित किए गए तथा 1 अप्रैल, 2018 से 31 दिसम्बर, 2018 के दौरान सर्कल कल्याण निधि के तहत सर्कलों को 2.43 करोड़ रुपए आबंटित किए गए।

123. विभाग को खेल-कूद संबंधी कार्यकलापों पर नियंत्रण तथा इन्हें बढ़ावा देने हेतु डाक खेल बोर्ड स्थापित किया गया है और इसे केन्द्रीय कल्याण निधि से निधियां प्राप्त होती हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान, कुल तेरह खेल प्रतियोगिताएं तथा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च 2018 तक की अवधि के दौरान सर्कलों को 3.29 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई तथा 1 अप्रैल, 2018 से 31 दिसम्बर, 2018 तक की अवधि के दौरान, सर्कलों को 4.29 करोड़ रुपए आबंटित किए गए।

स्टाफ संबंध

124. विभाग द्वारा अपने कर्मचारियों के संघों तथा सेवा संगठनों के साथ सदभावनापूर्ण तथा सार्थक संबंध बनाए रखने के लिए भरसक प्रयास किए गए हैं। संघर्षाधीन अवधि के दौरान, संघों की मुख्य मांगों का निपटान अर्थात् जीडीएस समिति की रिपोर्ट के कार्यान्वयन हेतु औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 22 की उपधारा (1) के तहत भारतीय अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी संघ (बीईडीईयू), 14 मई, 2018 से 6 जून, 2018 तक, हड़ताल पर रहे, अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ (एआईजीडीएसयू), ग्रामीण डाक सेवक संघ का राष्ट्रीय संघ (एनयूजीडीएस) एवं अखिल भारतीय डाक

Gender Budgeting dated 23rd August, 2018. Women and children constitute 70% of the total population in India. Hence it is necessary to carry forward the concerns for women and children through gender budgeting. For this purpose Department has made a provision of Rs 1.00 Crore in BE 2018-19. Department has planned opening of Creches/Tiffin rooms and providing Toilets facility in the offices/POs in the circles to serve the purpose of “Swachh Bharat” Mission as well as formulate a scheme to introduce PLI/RPLI products for benefit of “Girl Child” and “Sukanaya Samridhi Yojana” for welfare of children.

118. As of now about 1000 toilets have been constructed in the circles across the country. Out of these toilets about 437 toilets are earmarked exclusively for lady employees.

FACILITIES FOR DIFFERENTLY ABLED EMPLOYEES

119. Out of the available funds under scholarships and other educational schemes of the Department of Posts, 3% of the scholarships are earmarked for physically handicapped/mentally challenged children of postal employees, apart from the grant of scholarship which is available to the regular students. Transport charges and Hostel/Mess subsidies (in lieu of transport charges) are allowed to physically challenged/mentally challenged/ visually impaired/ hearing and speech impaired children of postal employees studying from 1st to 12th standard.

120. A differently abled employee is entitled to get reimbursement of the amount spent to a limit of Rs 2000 for purchasing a Mechanized Tri-cycle; and Rs 15000 or 50% of the cost, whichever is less, for purchasing a Motorized Tri-cycle from the Welfare Fund.

WELFARE & SPORTS ACTIVITIES

121. Welfare activities of the Department are promoted through the Postal Services Staff Welfare Board. The Board organizes welfare, sports and cultural activities for the employees of the Department. The Board receives grant-in-aid for these purposes from the Consolidated Fund of India. Voluntary contributions from the staff are also arranged by the field formations. The funds are allocated to Circles under various Welfare Schemes

for implementing the welfare measures of the Department. The funds of the Welfare Board are utilized for financial assistance in cases of illness, death, natural calamities, educational scholarships, subsidy for excursion trips, grant to help handicapped staff and their children, vocational training centers, creches, sports activities, recreation clubs, etc. Field Service (Postal) Benevolent Fund is operated by the Department of Posts as a welfare measure exclusively for the benefit of staff who are on deputation to the Army Postal Service. An amount of Rs.1.67 crore was allocated to the Circles for implementation of welfare activities during 2017-18 and Rs 1.85 crore was allocated to the Circles for implementation of welfare activities during 1st April 2018 to 31st December, 2018.

122. In order to boost the morale and maintain motivation levels among the Gramin Dak Sewaks, the Department of Posts introduced a Circle Welfare Fund from 1st October, 2013. An amount of Rs. 2.53 crore was allotted to the Circles under the Circle Welfare Fund during 2017-18 and Rs. 2.43 crore was allotted to the Circles under the Circle Welfare Fund during 1st April 2018 to 31st December, 2018.

123. The Postal Sports Board has been set up to control and promote sport activities of the Department and receive funds from the Central Welfare Fund. During the year 2017-18, a total of thirteen Sport Events and one Cultural Meet were organized. An amount of Rs. 3.29 crore was allocated to the Circles during the period 1st April, 2017 to 31st March 2018 and Rs. 4.29 crore was allocated to the Circles during the period 1st April, 2018 to 31st December, 2018.

Staff Relations

124. The Department endeavored to maintain harmonious and meaningful relations with the Federations and Service Associations of its employees. During the period under reference, Bharatiya Extra Departmental Employees Union (BEDEU) went on strike from 14th May, 2018 to 6th June, 2018, All India Gramin Dak Sevak Union (AIGDSU), National Union of Gramin Dak Sevak Union (NUGDS) & All India Postal Employees Union –GDS went on strike from 22nd May, 2018 to 6th June, 2018 and All India Postal Employees Union Postman and MTS went on strike from 23rd May, 2018 to 06th June, 2018 under sub section (1) of Section 22 of Industrial Disputes Act, 1947 for the

कर्मचारी संघ-जीडीएस, 22 मई, 2018 से 6 जून, 2018 तक, हड़ताल पर रहे तथा अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ पोस्टमैन एवं एमटीएस, 23 मई, 2018 से 06 जून, 2018 तक हड़ताल पर रहे। इस संबंध में सभी डाक सर्कलों को नियमों के अनुसार कार्रवाई करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए गए। हड़ताल से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों की 24 घंटे मॉनीटरिंग करने के लिए डाक भवन, नई दिल्ली और सभी सर्कलों में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए। हालांकि, किसी सर्कल से किसी अप्रिय घटना के संबंध में कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ। यह हड़ताल 6 जून, 2018 को वापस ले ली गई।

संपदा प्रबंधन

125. डाक विभाग का समूचे देश में किफायती दरों पर बुनियादी डाक सुविधाएं प्रदान करने का वैश्विक सेवा दायित्व है। डाकघरों, मेल तथा प्रशासनिक कार्यालयों, जो जनता को प्रभावी डाक सेवाएं मुहैया कराते हैं, के लिए उचित डिजाइन के भवन मुहैया कराने का डाक विभाग को अधिदेश प्राप्त है। दिव्यांग अधिकार अधिनियम में विहित अनुदेशों के अनुरूप, दिव्यांग तथा वृद्धजनों को बाधा रहित वातावरण मुहैया कराने के लिए एकीकृत दिशा-निर्देश और मानकों को ध्यान में रखते हुए, दिव्यांगों के लिए बनाई जा रही नयी अवसंरचना बाधा रहित तथा सुगम्य होगी। व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ने वित्तीय वर्ष 2017-2020 के लिए विभाग की "संपदा प्रबंधन" की केंद्रीय सेक्टर की योजना के क्रम में 243.5 करोड़ रु. के वित्तीय परिव्यय की सिफारिश की है।

126. वर्तमान में, विभाग के पास समूचे देश में 4480 विभागीय भवन तथा 19793 किराए वाले भवन तथा 1754 किराया मुक्त भवन हैं, इसके अलावा, 22348 विभागीय स्टॉफ क्वार्टर भी हैं। आज की तारीख के अनुसार, विभाग के पास कुल 1750 रिक्त भू-खण्ड हैं, जिनमें 1148 ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 602 शहरी क्षेत्रों में हैं। विभाग डाक प्रचालनों के लिए ऐसी जगहों पर अपने ही भवनों के निर्माण हेतु "संपदा प्रबंधन" स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है, जहां पर किराया काफी अधिक और लागत-लाभ के विश्लेषण के अनुसार अपने भवनों का निर्माण करना लागत किफायती है।

127. वर्ष 2018 (30 नवम्बर, 2018 तक) के दौरान, (क) कुल 14 डाकघर भवनों, 650 इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) शाखाओं, 13352 आधार नामांकन तथा अद्यतन केंद्रों, 236 डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों (पीओपीएसके), 858 शौचालयों का निर्माण कराया गया। इसके अलावा, 3445 कार्यालयों में एलईडी संस्थापित किए गए हैं। 'सुगम्य भारत अभियान' के तहत, 858 लाख रुपए आबंटित किए गए तथा इस क्रम में अक्टूबर, 2018 तक, 552.88 रु. व्यय किए जा चुके हैं।

चिकित्सा

128. डाक विभाग द्वारा कल्याणकारी उपाय के रूप में, देश के विभिन्न भागों के 13 सर्कलों में 33 डाक औषधालय चलाए जा रहे हैं। इन, औषधालयों से पात्र लाभार्थियों को आउटडोर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाती है जो डाक विभाग और दूरसंचार विभाग के कर्मचारी और पेंशनभोगी हैं और जहां ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। सीएसएमए (नियमावली) के अनुसार, जिन स्थानों पर डाक औषधालय मौजूद नहीं हैं, वहां विभाग के कर्मचारी/पेंशनभोगी केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) औषधालयों, जहां उपलब्ध हों, अथवा प्राधिकृत मेडिकल अटेंडेंट की व्यापक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। 01.01.2019 से ये 33 डाक औषधालय डीजीएचएस के नियंत्रणधीन हो गए हैं अथवा इनका, सीजीएचएस में विलय कर दिया गया है।

राजभाषा- (ओएल)

129. केन्द्र सरकार की राजभाषा नीति के अनुसरण में, डाक विभाग सरकारी पत्राचार तथा सभी स्तरों पर दिन-प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्यों में हिन्दी का इष्टतम प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। डाक विभाग के कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को सुचारू रूप से मॉनीटर करने के लिए, मुख्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां कार्य कर रही हैं।

130. हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से डाक विभाग की राजभाषा शाखा ने विभिन्न प्रोत्साहन स्कीमों का प्रचार एवं प्रसार किया है। हिन्दी शिक्षण योजना के तहत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कर्मचारियों को नामांकित किया जाता है तथा डाक विभाग के मुख्यालय के सभी अनुभागों, सर्कल मुख्यालयों तथा डाक विभाग के अन्य संबंधित कार्यालयों को राजभाषा अधिनियमों/नियमों तथा अनुदेशों से अवगत कराया गया है। समीक्षाधीन वर्ष के लिए जारी अपने वार्षिक कार्यक्रम में राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नियमों के अंतर्गत जारी अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है।

131. विभाग के कार्यालयों में संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उपसमिति राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को मॉनीटर भी करती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप-समिति ने 7 कार्यालयों का निरीक्षण किया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकासात्मक कार्यकलाप

132. डाक विभाग ने सरकार के नीतिगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप

settlement of their main demand i.e. implementation of GDS Committee report. In this regard, necessary instructions were issued to all Postal circles to take necessary action as per rules. A 24-hour Control Room was set up in Dak Bhawan, New Delhi as well as, in all Postal Circles for monitoring the various activities relating to the strike. However, no untoward incident was reported by any Circle. The Strike was called off on 6th June, 2018.

ESTATES MANAGEMENT

125. The Department of Posts has a universal service obligation to provide basic postal facilities at an affordable price throughout the country. Providing well designed buildings for post offices, mail and administrative offices which facilitate provision of efficient postal services to the public is an important mandate of the Department. The new infrastructure being constructed are barrier-free and accessible to persons with disability following harmonized guidelines and space standards for barrier-free environment for persons with disability and elderly persons, in terms of the instructions as contained in Persons with Disability Act. Expenditure Finance Committee (EFC) recommended the continuation of the Central Sector Scheme of 'Estates Management' of the Department with the financial outlay of Rs 243.5 Crore for the financial years 2017-20.

126. At present, the Department has 4480 departmental buildings, 19793 rented buildings and 1754 rent free buildings all over the country, in addition to 22348 departmental staff quarters. As on date, the Department has a total 1750 vacant plots of land of which 1148 are in rural areas and 602 in urban areas. To manage postal operations, the Department is implementing a scheme of 'Estates Management' to come up with own buildings wherever rents are high and cost benefit analysis suggests own building is cost effective.

127. During the year 2018 (upto 30th November 2018), (a) total 14 Post Office buildings, 650 Indian Post Payments Bank (IPPB) branches, 13352 Aadhaar Enrolment and Updation Centres, 236 Post Office Passport Seva Kendra (POPSK) and 858 toilets were constructed. Besides, LED have been installed in 3445 offices. Under 'Sugamya Bharat Abhiyan', Rs.858 Lakhs have been allotted and expenditure made to the tune of Rs. 552.88 upto October, 2018.

Medical

128. As a welfare measure, the Department of

Posts is running 33 Postal Dispensaries in 13 Circles in various parts of the country. These Dispensaries extend outdoor treatment facilities to the eligible beneficiaries, who are the employees as well as pensioners of the Department of Posts and Department of Telecom, wherever such facilities are available. In places where Postal Dispensaries are not available, the employees/pensioners of the Department can avail comprehensive health care facilities from CGHS Dispensaries wherever /entitled or from the Authorised Medical Attendant as per CSMA (Rules) as the case may be. Wef 01.01.2019, these 33 Postal Dispensaries have been taken over by DGHS and merged with CGHS.

Official Language (OL)

129. In pursuance of the Official Language policy of the Central Government, the Department of Posts has been making sustained efforts to ensure optimum use of Hindi in official correspondence and day to day administrative work at all levels. In order to effectively monitor the progressive use of Hindi in the offices of the Department, Official Language Implementation Committees are functioning in the headquarters as well as in the subordinate offices.

130. The OL Branch has promoted and propagated various incentive schemes to encourage the use of Hindi. It has also nominated officials for imparting training under the Hindi Training Scheme and also familiarized all the Sections of the Department of Posts at the Headquarter, Circle Headquarters and other concerned offices of the Department with the Official Language Act, Rules and instructions. Compliance of instructions, issued under the rules, has been ensured to achieve targets fixed by the Department of Official Language in their Annual Programme issued for the year under review.

131. The second Sub-Committee of the Committee of Parliament on Official Language also monitors the implementation of Official Language policy in the offices of the Department. During the current financial year, the second Sub-Committee of the Committee of Parliament on Official Language has carried out the inspection of 7 offices.

Development Activities in North Eastern Region

132. Department of Posts has taken up many

पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कई विशेष पहलों की शुरुआत की है। असम डाक सर्कल, जिसका मुख्यालय गुवाहाटी में है, पूर्वोत्तर डाक सर्कल, जिसका मुख्यालय शिलांग में है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड और त्रिपुरा राज्य शामिल हैं तथा सिक्किम राज्य, जोकि पश्चिम बंगाल सर्कल का एक भाग है, को पूर्वोत्तर क्षेत्र में शामिल किया गया है। असम डाक सर्कल में 4012 डाकघरों का एक नेटवर्क है। पूर्वोत्तर डाक सर्कल में 2919 डाकघरों का नेटवर्क है और औसतन प्रत्येक डाकघर क्रमशः 79.22 वर्ग किमी. क्षेत्रफल तथा 5155 व्यक्तियों को सेवा प्रदान करता है। सिक्किम राज्य में 209 डाकघरों का नेटवर्क है, प्रत्येक डाकघर औसतन 33.97 वर्ग किमी. क्षेत्रफल तथा 2909 व्यक्तियों को सेवा मुहैया कराते हैं।

133. पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न विभागीय कार्यकलाप शुरू किए गए। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान योजनागत व्यय के तहत डाक विभाग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में 21.68 करोड़ रु. का व्यय किया है।

134. कर्मचारियों को नई प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में समर्थ बनाने और ग्राहकोन्मुखी सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से पूर्वोत्तर क्षेत्र के 17 प्रचालन पर्यवेक्षक कर्मचारियों, 1464 फ्रंटलाइन कर्मचारियों, 89 पर्यवेक्षी संवर्ग, 529 पोस्टमैन/मेल ओवरसीयर/एमटीएस और 2470 ग्रामीण डाक सेवकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। डाक विभाग के पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुल 4569 कर्मचारियों को वर्ष 2018-19 में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

special initiatives for the development of the North Eastern Region, in accordance with the policy guidelines of the Government. The Assam Postal Circle with headquarter at Guwahati, the North Eastern Postal Circle with headquarter at Shillong, comprising the States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Tripura; and Sikkim State which is part of West Bengal Circle, are included in North Eastern Region. The Assam Postal Circle has a network of 4012 post offices. North Eastern Postal Circle has a network of 2919 post offices and on an average, a post office serves an area of 79.22 Sq. Kms and a population of 5155 persons respectively. Sikkim State has a network of 209 post offices and on an average , a post office serves an area of 33.97 Sq. Kms and a population of 2909 persons.

133. Various Departmental activities were initiated in the North Eastern Region. Under the plan expenditure, the Department of Posts has incurred an expenditure to the tune of Rs. 21.68 crore in the North Eastern Region during the financial year 2017-18.

134. In order to enable staff to harness new technology and to provide customer centric services; 17 operative supervisor staff, 1464 frontline staff, 89 supervisory cadre, 529 Post man / Mail Overseers / MTS and 2470 Gramin Dak Sewaks (GDSs) of North Eastern Region were imparted training. A total of 4569 Officials in NE Region of the Department of Posts would be imparted training in year 2018-19.

अनुबंध- I: नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा टिप्पणियां

(संचार मंत्रालय) डाक विभाग – (शून्य)

वर्तमान स्थिति, के अनुसार डाक विभाग में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कोई भी पैरा लंबित नहीं है।

अनुबंध- II: लंबित लेखापरीक्षा रिपोर्ट का पैरा

30.11.2018 की स्थिति के अनुसार डाक विभाग में लंबित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के पैरा और उनके निपटान की स्थिति का ब्यौरा

क्र. सं.	रिपोर्ट की सं. और वर्ष	पैरा/पीए की संख्या जिन पर लेखापरीक्षा द्वारा (मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ को) पुनरीक्षा किए जाने के पश्चात पीएसी को एटीएन प्रस्तुत किए गए हैं	पैरा/पीए रिपोर्ट का ब्यौरा, जिस पर एटीएन लंबित है		
			उन एटीएन की संख्या, जो मंत्रालय द्वारा लेखापरीक्षा को एक बार भी भेजे नहीं गए	भेजे गए उन एटीएन की संख्या जो टिप्पणियों के साथ लौटाए गए और जिनके लिए लेखापरीक्षा मंत्रालय द्वारा पुनः प्रस्तुत किए जाने हेतु प्रतीक्षारत है	उन एटीएन की संख्या जिन्हें लेखापरीक्षा द्वारा अंततः पुनरीक्षित किया गया है, किन्तु मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है
1	2017 की सीए सं. 21	2	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	2	शून्य	शून्य	शून्य

30.11.2018 की स्थिति के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लंबित लेखापरीक्षा पैरा की कुल सं. = 0

महानिदेशक लेखापरीक्षा (डाक एवं दूरसंचार) के पास पुनरीक्षण हेतु नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लंबित लेखापरीक्षा पैरा की कुल सं. = 0

Annexure-I :AUDIT OBSERVATIONS OF C&AG

(Ministry of Communication) Department of Posts -(Nil)

There is no paras of C&AG of India pending in the Department of Posts as on date.

Annexure-II :Audit Report Paras Pending

Details of Audit Report Paras pending with the Department of Posts and their disposal status as on 30.11.2018

Sl. No.	Number and year of the Report	Number of paras/ PA report on which ATNs have been submitted to PAC after vetting by Audit (to Monitoring Cell)	Details of paras/ PA Report on Which ATNs are pending		
			Number of ATNs not sent by the Ministry to the Audit even for the first time	Number of ATNs sent but returned with observations and audit is awaiting their resubmission by the Ministry	No. of ATNs which have been finally vetted by audit, but have not been submitted by the Ministry
1	CA 21 of 2017	2	NIL	NIL	NIL
	Total	2	NIL	NIL	NIL

Total C&AG Audit paras pending as on 30.11.2018= 0

Total C&AG Audit Paras pending with DG Audit (P&T) for vetting =0



Department of Posts, Dak Bhawan, Sansad Marg, New Delhi - 110001
Visit us at www.indiapost.gov.in or your nearest Post Office

Follow us on   www.indiapost.gov.in

INDIA POST CALL CENTRE (1800 266 6868)